मध्यप्रदेश विधान सभा

(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

एकादश प्रतिवेदन

(जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18 मार्च,2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) गृह(पुलिस)	1
	(2) राजस्व	2
	(3) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8
	(4) स्कूल शिक्षा	15
	(5) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	21
	(6) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	24
	(7) नगरीय प्रशासन एवं विकास	27
	(8) ऊर्जा	32
	(9) चिकित्सा शिक्षा	33
	(10) आयुष	34
	(11) आवास एवं पर्यावरण	35
	(12) लोक निर्माण	37
	(13) वन	39
	(14) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	43
	(15) आदिम जाति कल्याण	45
	(16) जल संसाधन	47
	(17) उच्च शिक्षा	49
	(18) महिला एवं बाल विकास	50
	(19) वाणिज्यिक कर	51
	(20) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	53
	(21) सहकारिता	54
	(22) नर्मदा घाटी विकास	55
	(23) खनिज साधन	56
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशेष टिप्पणी)**	57
	(ii) परिशिष्ट - 2 (अनिर्णीत प्रकरण)	58
	(iii) परिशिष्ट - 3 (जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	60

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

<u>सभापति</u>

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का एकादश प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 386 आश्वासन, जिनमें से **आश्वासन क्रमांक 386 एवं 388** का विषय एवं स्वरूप एक समान होने के कारण इन आश्वासनों को एकजाई किये जाने के फलस्वरूप कुल 385 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 290 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है। इस प्रकार शेष 95 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस एकादश प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 17 मार्च, 2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	गृह(पुलिस)	10
2.	राजस्व	37, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, (386+388)
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 83, 84, 282
4.	स्कूल शिक्षा	86, 90, 91, 94, 96, 102, 105, 109, 116, 123, 127
5.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	134, 136, 137, 156
6.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	160, 168, 180
7.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	140, 184, 186, 193, 195, 197, 198, 203, 205, 207, 372
8.	ऊर्जा	210, 213, 214, 219
9.	चिकित्सा शिक्षा	220
10.	आयुष	221
11.	आवास एवं पर्यावरण	235, 237
12.	लोक निर्माण	261, 262, 266, 267
13.	वन	240, 243, 244, 247
14.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	283, 285, 292, 294, 296, 362
15.	आदिम जाति कल्याण	299, 302, 303, 305
16.	जल संसाधन	309, 314, 315, 316, 318
17.	उच्च शिक्षा	323, 324, 326
18.	महिला एवं बाल विकास	330
19.	वाणिज्यिक कर	334, 335, 336
20.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	337, 340
21.	सहकारिता	347
22.	नर्मदा घाटी विकास	360
23.	खनिज साधन	381

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	10	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.1428) दि. 23.07.2002	बैतूल जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पदोन्नति पाने वाले अधिकारी श्री एस.पी.राजपाल के विरूद्ध कार्रवाई ।	रिपोर्ट अप्राप्त है । प्राप्त होने पर एवं श्री राजपाल की जाति सुनिश्चित होने पर पाई गई परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।	श्री एस.पी.राजपाल, वन क्षेत्रपाल, शिवपुरी के जाति प्रमाण पत्र की तस्दीक हेतु तत्कालीन प्र.आर.349 भीमराव बारस्कर को चिचौली भेजकर सरपंच रमेश धुर्वे तथा प्रधान पाठक पूरनलाल पाल से पूछताछ करने पर श्री एस.पी.राजपाल की जाति गाड़री(पिछड़ा वर्ग) होना बताया । गाड़री समाज पिछड़ा वर्ग में आता है । अनु.जाति वर्ग में नहीं आता है। श्री एस.पी.राजपाल की पदोन्नति के संबंध में वन विभाग बैतूल से जानकारी प्राप्त करने पर वन विभाग कार्यालय द्वारा बताया गया कि श्री एस.पी.राजपाल द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पदोन्नति बैतूल जिले में प्राप्त नहीं की है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **5981/05/बी-1/दो, दिनांक 14.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.17582/वि.स./आश्वा./2009 दि. 16.09.2009 से लगातार विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***श्री एस.पी. राजपाल वनक्षेत्रपाल के फर्जी प्रमाण पत्र के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी ।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है ।**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
राजस्व विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	37	ता.प्र.सं.17 (क्र.850) दि.22.07.2002	(1) शहडोल जिले की तहसील जैतहरी के ग्राम कोसगाई में भूमिहीनों को पट्टा न देकर अपात्र लोगों को पट्टा दिये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई। (2) अपात्र लोगों को दिए गए पट्टे निरस्त कर आदिवासियों को दिए जाना।	समूचे प्रकरण की जांच कलेक्टर शहडोल द्वारा की जा रही है, अगर गलती पाई गई तो उनके पट्टे निरस्त कर दिए जायेंगे। जैसे ही कलेक्टर के निष्कर्ष आ जाएंगे तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर अवैध तरीके से पट्टे दिए गये है तो निरस्त कर दिए जायेंगे तथा जिला अधिकारियों ने गलत काम किए हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा।	वर्ष 2002 में जैतहरी तहसील जिला शहडोल के अंतर्गत रहा है। पश्चात् में यह तहसील अनूपपुर जिले के अंतर्गत आती है। कलेक्टर अनूपपुर के प्रतिवेदन अनुसार तहसील जैतहरी में ग्राम कोसगाई नाम को कोई ग्राम नहीं है तथा तहसील जैतहरी अंतर्गत कभी पूर्व में भी इस नाम का कोई ग्राम नहीं रहा है। अत: ग्राम कोसगाई के भूमिहीनों को पट्टा दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 20/293/2013/सात/2ए, दिनांक 31.11.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
3.	40	परि.अता.प्र.सं.25 (क्र.118) दि.22.07.2002	जिला रायसेन के देहगांव से बम्होरी तक मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जाना।	प्रकरण में विधिवत् कार्रवाई कर अवार्ड पारित करने के उपरांत कृषकों को भू-अर्जन का मुआवजा भुगतान किया जाएगा।	कलेक्टर जिला रायसेन से प्राप्त जानकारी अनुसार देहगांव बम्हौरी मार्ग निर्माण के अंतर्गत जिन कृषकों की निजी भूमि अर्जन में आई थी, उन समस्त कृषकों को भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान वर्ष 2009 की स्थिति में ही किया जा चुका है। वर्तमान में किसी भी कृषक को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 3/ग्राभूप्र-आश्वा/2015/6663, दिनांक 16.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	41	अता.प्र.सं.18 (क्र.656) दि.22.07.2002	विदिशा जिले में कस्टोडियन की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	कस्टोडियन भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है।	विदिशा जिले के कस्टोडियन की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का तहसीलवार विवरण निम्नवत् है:- **<u>तहसील - विदिशा</u>** ग्राम जीवाजीपुर में कस्टोडियन भूमि का रकबा 6.758 हेक्ट. है, जिस पर 04 व्यक्तियों का भूमि स्वामी स्वत्व में कब्जा अंकित है। उक्त भूमि के स्वत्व के संबंध में तहसील न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। **<u>तहसील - त्योंदा</u>** तहसील बासोदा की नवीन तहसील त्योंदा में कस्टोडियन की कुल भूमि किता 11 रकबा 11.883 हेक्ट. पर 12 व्यक्तियों का अवैध कब्जा अंकित है। जिसके संबंध में वाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। **<u>तहसील - सिरोंज</u>** कस्टोडियन की भूमि कुल किता 174 रकबा 167.914 हेक्ट. है, जिस पर 181 व्यक्तियों का अवैध कब्जा है। 17 ग्रामों में स्थित उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण न्यायालयीन, नामांतरण की कार्रवाई प्रचलित है, शेष प्रकरणों में कन्वेस्टीड जारी की गई। **<u>तहसील - ग्यारसपुर</u>** ग्राम मुंगवारा में कस्टोडियन की भूमि कुल किता 40 रकबा 110.859 हेक्ट. भूमि है, उक्त भूमि वर्ष 2008-09 हेतु नीलामी के लिये नियत है। **<u>तहसील - लटेरी</u>** कस्टोडियन की भूमि कुल किता 38 रकबा 42.660 हेक्ट. पर 37 व्यक्तियों का कब्जा था, जिन्हें उक्त भूमि से बेदखल किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 20/143/2009/सात/2ए,** **दिनांक 21.02.2001** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 11941/वि.स./आश्वा./2011 दि. 25.05.2011 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***1. इस मामले पर कार्रवाई किन-किन राजस्व अधिकारियों से अपेक्षित थी उनके नाम व कार्यकाल बताऐं?*** ***2. क्या किसी दोषी पर शासन या जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है?*** ***3. कब तक मामले का निपटारा संभावित है कि अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	42	अता.प्र.सं.42 (क्र.1135) दि. 22.07.2002	जिला रायसेन के देहगांव से बम्होरी तक मार्ग निर्माण में अधिग्रहित की गई कृषकों की भूमि के मुआवजे का भुगतान।	अवार्ड पारित करने के उपरांत ही प्रभावित कृषकों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा।	देहगांव बम्होरी मार्ग निर्माण अंतर्गत जिन कृषकों की निजी भूमि अर्जन की गई थी उन समस्त कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है अब कोई भी कृषक मुआवजा राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **आर-2178/एफ-20/2009/सात-2ए, दि.13.10.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
6.	46	ता.प्र.सं.10 (क्र.2165) दि.29.07.2002	श्योपुर जिले में सर्वे क्र. 744 एवं 745 से अवैध कब्जा हटाया जाना।	अवैध कब्जेधारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रचलित है।	न्यायालय कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्र. 347/01-02/बी 121 में आदेश दि.23.03.05 से सर्वे क्रमांक 744/1 रकबा 11 विस्वा एवं 745/1 रकबा 13 विस्वा कुल 2 बीघा 5 विस्वा के अतिक्रामिक रकबा की एवज में इसी भूमि से लगे हुये भूमिस्वामियों के निजी भूमि सर्वे क्रमांक 743/2 का रकबा 2 बीघा 5 विस्वा रिक्त भूमि को शासकीय घोषित कर अदला बदली किये जाने से कोई कब्जा धारी अवैध नहीं रह गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3122/4655/2008/सात/शा-2A, दिनांक 06.02.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
7.	48	ता.प्र.सं.10 (क्र.3758) दि. 05.08.2002	दमोह जिले के पथरिया विधान सभा क्षेत्र में पट्टेधारियों को कब्जा दिलाया जाना। 2. पट्टा वितरण की गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जांच की समयावधि।	जो पट्टे रह गये हैं एक महिने के अंदर उन सारे के सारे पट्टों का कब्जा करा दिया जायेगा। 2. आप चाहेंगे तो यहां से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर सारे प्रकरण की जांच करा लेंगे। 3. 15 दिन में करवा लेंगे।	पथरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त आने वाले ग्रामों के पट्टेधारियों को कब्जा दिलाया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 20-290/2000/सात/2ए, दिनांक 26.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	49	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.2058) दि.05.08.2002	ग्राम सेजी तह.अशोकनगर में भूमि बंटन में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	भूमि वितरण में की गई अनियमितता की जांच तत्काल वरिष्ठ अधिकारी से करवाने एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु आयुक्त ग्वालियर संभाग को निर्देशित किया गया है।	(1) भूमि बंटन प्रकरण से संबंधित पटवारी श्री सुखवीर सिंह रघुवंशी को एस.डी.ओ. द्वारा निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। (2) नायब तहसीलदार श्री जे.पी.टुण्डेले के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। (3) भूमि बंटन प्रकरण ग्राम तेजी को न्यायालय में पुनरीक्षण में लिया जाकर न्यायालयीन कार्रवाई प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 20-260/2002/सात/ सा 2ए, दिनांक 10.03.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 18459/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 20.08.2007 एवं 14516/वि.स./आश्वा./2009, दिनांक 25.07.2009 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***(1) श्री जे.पी.टुण्डेले, नायब तहसीलदार के विरूद्ध जांच में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई।*** ***(2) भूमि बंटन प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही का आज तक क्या निर्णय हुआ? पूर्ण जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	50	परि.अता.प्र.सं.50 (क्र.3244) दि.05.08.2002	जिला सीधी तहसील देवसर सर्किल धोहनी अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा कृषकों से अधिक जुर्माना वसूलने की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा दोषी पाये जाने पर संबंधित नायब तहसीलदार के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।	श्री एम.के.गुप्ता, नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित की जाकर, आरोप पत्र अभियोग विवरण पत्र, साक्ष्य सूची एवं अभिलेख सूची श्री गुप्ता नायब तहसीलदार चितरंगी पूर्व तहसील देवसर को दिनांक 09.12.2002 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 17-18/2002/सात-5, दिनांक 17.01.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 22852/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 13.10.2005 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही। **तत्पश्चात् विभागीय जानकारी के अनुसार** - श्री एस.के.गुप्ता तत्कालीन नायब तहसीलदार देवसर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। विभागीय जांच प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभी अभियोजन साक्ष्य पूर्ण नहीं हुए है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **17-18/2002/7-5, दिनांक 27.09.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 9004/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 16.03.2006 द्वारा अद्यतन जानकारी चाही गई। **तत्पश्चात् विभागीय जानकारी के अनुसार** - श्री एम.के.गुप्ता, तत्कालीन नायब तहसीलदार देवसर के विरूद्ध संस्थापित विभागीय जांच प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक 403/वि.जा./04, दिनांक 21.12.04 द्वारा सामान्य चेतावनी के साथ निराकृत किया जाकर समाप्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 17-18/2002/सात/शा-5, दिनांक 17.10.2006**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	386 + 388	अता.प्र.सं.01 (क्र.288) दि.29.07.2002	जिला कटनी तहसील विजयराघवगढ़ स्थित मे.घनराम इंजीनियर एवं कंडेक्टर द्वारा डायवर्सन शुल्क जमा न करने वाली दोषी फर्म के विरूद्ध कार्रवाई।	जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है।	विजयराघवगढ़ तहसील के ग्राम खजुरा की भूमि ख.नं.481 रकबा 0.75 हेक्टर का पुन: निर्धारण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59(2)(3) के तहत किया गया था। जिस पर औद्योगिक/व्यवसायिक उपयोग हेतु वार्षिक भू-राजस्व रूपये 12467/- पंचायत उपकर रू.6234/- तथा प्रीमियम 11396/- आरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो कर फर्म द्वारा न्यायालय कलेक्टर, कटनी में अपील प्रस्तुत की गई है। 02 अपीली प्रकरण में कार्रवाई चल रही है। निर्णय उपरांत कार्रवाई की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-21-15/04/सात/शा-6, दिनांक 18.03.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.14515/वि.स./आश्वा./2009 दि. 25.07.2009 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***फर्म द्वारा न्यायालय में जो अपील की गई थी उन दो प्रकरणों में जो कार्रवाई चल रही थी आज दिनांक तक क्या निर्णय हुआ कि अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	58	अता.प्र.सं.09 (क्र.240) दि. 18.07.2002	रेडक्रास के प्रतीक चिन्ह "लाल रंग का धन का चिन्ह" का दुरूपयोग करने के संबंध में कार्रवाई।	जी हां नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
12.	59	ता.प्र.सं.10 (क्र.1829) दि. 25.07.2002	जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियोग्राफर की नियुक्ति की जाना।	पदोन्नति पर न्यायालय का स्थगन है और जैसे ही स्थगन समाप्त होगा हम पदोन्नति करेंगे।	जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियोग्राफर की पदपूर्ति हो चुकी है। जिले के अन्य रिक्त संस्थाओं में पद पूर्ति बैकलाग के पदों पर विशेष भर्ती अभियान के तहत 02 अ.ज.जा. उम्मीदवार के करने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे। शेष पद जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ-16-199/05/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 24.11.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 1674/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 18.01.2006, 15726/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 20.07.2007 एवं 17583/वि.स./आश्वा./2009, दिनांक 16.09.2009 द्वारा अतिरिक्त/पूर्ण जानकारी चाही गई थी। तत्पश्चात् समिति ने इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 12981/वि.स./आश्वा./2010, दिनांक 02.07.2010, 22849/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 21.11.2012 एवं 10693/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 04.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***अभी तक जो भी कार्यवाही की गई है। समिति को यथाशीघ्र अवगत करायें।*** लगातार पत्राचार के बावजूद भी आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	कोई टिप्पणी नहीं.
13.	66	अता.प्र.सं.87 (क्र.2295) दि. 25.07.2002	जिला दतिया में सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के गुमशुदा कटोत्रे की जानकारी भेजी जाना।	अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी प्राप्त होने पर महालेखाकार को भेजी जावेगी।	वर्ष 2001 से जून, 2002 तक 10 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है। श्री डी.पी.द्विवेदी सहित समस्त कर्मचारी जिनके गुमशुदा कटोत्रे थे, को महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर को भेज दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 1208/2559/2009/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 09.04.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	68	परि.अता.प्र.सं.54 (क्र.3130) दि. 01.08.2002	सीहोर जिले के इछावर वि.स.क्षेत्र के सामुदायिक एवं प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति के प्रयास किए जा रहे है।	सीहोर जिले के इछावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दो सा.स्वा.केन्द्र एवं तीन प्रा.स्वा.केन्द्र संचालित हैं । सा.स्वा.केन्द्र, इछावर में एक पद शिशुरोग विशेषज्ञ का एवं एक पद स्त्रीरोग विशेषज्ञ का, सा.स्वा.केन्द्र बिलकीसगंज में एक पद मेडिकल विशेषज्ञ का एवं एक पद शिशुरोग विशेषज्ञ का स्वीकृत होकर रिक्त है। सा.स्वा.केन्द्र, इछावर में डॉ. राधेश्याम वर्मा, पी.जी.एम.ओ. शिशुरोग 26.05.87 से डॉ.भारतभूषण शर्मा, दिनांक 09.10.90 से डॉ.मधुबाला शर्मा दि.25.01.2001 से डॉ.अनिल ग्वालियरकर पी.जी.एम.ओ., ई.एन.टी. वर्ष 03 से एवं शासन आदेश दिनांक 10 फरवरी 2004 द्वारा डॉ.प्रफुल्ल हेडाउ को सा.स्वा.केन्द्रबिलकीसगंज, संचालनालय द्वारा वर्ष 2003 में संविदा नियुक्ति के तहत बिलकीसगंज में पदस्थ किया गया । सा.स्वा.केन्द्र, बिलकीसगंज में डॉ.नितिन पटेल, एम.डी.रेडियोलॉजी दिनांक 10.03.2003 से कार्यरत हैं । इछावर विधान सभा के प्रा.स्वा.केन्द्र में शासन द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध सभी पद भरे हुए हे । विशेषज्ञों के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर शासन द्वारा पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **2204/5509/2009/सत्रह/मेडि-एक, दि 19.05.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
15.	69	परि.अता.प्र.सं.84 (क्र.3408) दि. 01.08.2002	सेठ गोविन्ददास (विक्टोरिया) चिकित्सालय, जबलपुर में किये गये ऑडिट में राशि कम पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	वर्ष 1995-96 से जून 2002 तक रोगी कल्याण समिति का कार्य करने वाले संबंधित/कर्मचारियों से रू.413918/- के वसूली हेतु सिविल सर्जन, जबलपुर को संचालनालय के पत्र क्रमांक रो.क.स/07/157, दि.11.09.07 द्वारा आदेशित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **2569/2009/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 11.06.2009** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 12981/वि.स./आश्वा./2010, दिनांक 02.07.2010, 22849/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 21.11.2012 एवं 10693/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 04.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***वसूली की अद्यतन स्थिति से आज दिनांक तक की कार्यवाही से समिति को अवगत करायें।*** लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	70	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.3453) दि.01.08.2002	इंदौर जिले में सहायक शल्य चिकित्सक/चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	प्रतिबंध हटने पर आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।	आवश्यकतानुसार चिकित्सकों/ विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति की गई है । लेकिन शतप्रतिशत पदों की पूर्ति की जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2451/4209/2008/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 13.08.08	कोई टिप्पणी नहीं.
17.	71	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.1262) दि.01.08.2005	जिला शहडोल में पदस्थ चिकित्सक डॉ.राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रायवेट प्रेक्टिस करने एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने की जांच।	माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर, डॉ.राजेन्द्र सिंह द्वारा शहडोल में निजी अस्पताल संचालित कर प्रायवेट प्रेक्टिस करने तथा शासकीय अस्पताल में उपस्थिति की, जांच किया जाना।	विषयांकित आश्वासन में डॉ.राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल के विरूद्ध जिला शहडोल में पदस्थी, दौरान कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, जिला शहडोल ने उनके पत्र क्र. 44/शि./03/ 1788, दिनांक 24.12.2003 द्वारा डॉ.राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु शासन को लिखा गया। कलेक्टर, जिला शहडोल द्वारा शासन को भेजे गये उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 13-13/2007/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 28.12.2007 द्वारा डॉ.राजेन्द्र सिंह,तत्कालीन सी.एम.ओ. जिला शहडोल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 13-14/2007/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 10.03.2008 द्वारा लेख किया गया कि डॉ.राजेन्द्र सिंह ने विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण डॉ.राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम -1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने की कार्रवाई प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3689/561/2010/सत्रह/मेडि-एक,** **दिनांक 28.05.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 22850/वि.स./आश्वा./2012 दि. 02.11.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***1. जिला अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव 2003 में भेजा गया जिस पर डॉ. राजेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस 2007 में जारी किया गया इसी प्रकार वर्ष 2008 में नोटिस का उत्तर ना देने के कारण विभागीय जांच की कार्रवाई प्रस्तावित है प्रकरण में हुये असाधारण विलंब के कारणों पर टीप।*** ***2. आश्वासन वर्ष 2002 का है। अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	73	ध्यानाकर्षण सूचना दि.05.08.2002	1. श्योपुर जिले के वीरपुर स्वास्थ्य केन्द्र अंतर्गत मजरा एवं पीपरसिज ग्राम में उपचार के अभाव में बच्चों की मौत होने की जांच एवं डॉ. के विरूद्ध कार्रवाई। 2. अनुसूचित जाति के बालक/ बालिकाओं की अकाल मृत्यु के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाना।	1. सचिव स्तर के अधिकारियों को वहां पर भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे। 2. हम इसे जिलाधीश को लिखेंगे नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई उसमें मुआवजे की होगी वह दी जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	76	अता.प्र.सं.32 (क्र.5607) दि. 08.08.2002	जिला चिकित्सालय भिण्ड में दवाई क्रय करने में हुई अनियमितताओं की जांच तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच के परिणाम प्राप्त होने पर जांच में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण में अपर संचालक वित्त द्वारा जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में दोषी अधिकारी/कर्मचारी डॉ.एस.एल.शर्मा, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड को दवाई क्रय करने में हुई अनियमितता के कारण संचालनालय के पत्र क्रमांक 4/शिका./सेल 2/भिण्ड/2009/2307, दिनांक 28.09.2006 द्वारा एवं डॉ.राकेश शर्मा, स्टोर अधिकारी कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड को पत्र क्रमाक 2304, दिनांक 07.09.2006 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डॉ.एस.एल.शर्मा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 21.01.2009 को प्रस्तुत किया। डॉ.शर्मा द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में लेख किया है कि उन्हें दिनांक 21.03.2002 को रूपये 08 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। दिनांक 21, 22, 23 मार्च 2002 को लघु उद्योग निगम प्रशासकीय उपक्रमांक का क्रय आदेश प्रसारित किये गये। सामग्री क्रय करने के लिये जिला योजना समिति ने कलेक्टर से पूर्व अनुमति से सामग्री क्रय आदेश दिये गये थे। जिला योजना समिति से दिनांक 28.03.2002 को कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया था। क्रय में प्रतिबंध की अवधि में क्रय करने से बजट से रूपये 21,826/- अधिक व्यय हुआ। डॉ.एस.एल.शर्मा, तत्कालीन अधीक्षक, जिला भिण्ड वर्तमान में दिनांक 30.04.2002 को सेवानिवृत्त हो चुके है। यह क्रय वर्ष 2002 का है। अत: इसी कमी के आधार पर उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई आधार नहीं पाते हुए संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका./सेल.2/भिण्ड/2009/1302, दिनांक 20.05.2009 द्वारा प्रकरण बिना शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। प्रकरण में दोषी डॉ.राकेश शर्मा, स्टोर अधिकारी कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भिण्ड का प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड के माध्यम से दिनांक 20.10.2008 को प्राप्त हुआ। डॉ.राकेश शर्मा, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड से प्राप्त अभिमत का परीक्षणोपरांत समाधानकारक पाये जाने के कारण संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका./सेल.2/2008/2935, दिनांक 12.12.2008 द्वारा डॉ.राकेश शर्मा, स्टोर अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को बिना शास्ति अधिरोपित करते हुए समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **405/4847/2009/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 13.02.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	80	अता.प्र.सं.87 (क्र.4428) दि. 08.08.2002	बालाघाट जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों को यथा सम्भव शीघ्र भरा जावेगा।	बालाघाट जिले में वर्ष अगस्त, 2002 से सितम्बर 06 तक 13 चिकित्सा अधिकारियों को एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 01, लेखापाल का 02, बीईई-02, सहायक ग्रेड-2, के 02, सहायक ग्रेड-3 के 04, सुपरवाईजर के 19, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 16, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 48, स्टुवर्ड का 01 एवं संगणक के 03 पद की पूर्ति/अनुकंपा नियुक्ति संविदा आधार पर की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-16-05/2007/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 24.01.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
21.	83	अता.प्र.सं.62 (क्र.4266) दि.08.08.2002	रायसेन जिले के स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा एवं नियमित ड्यूटी तथा मुख्यालय पर न रहने वालों के विरूद्ध कार्रवाई।	नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन द्वारा दिनांक 10.06.2005 को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कोई भी चिकित्सक शहरी क्षेत्र/सामु.स्वा.के./ प्रा.स्वा.के. एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निजी चिकित्सालय नहीं चला रहे हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न तीन चिकित्सक डॉ.श्रीमती मीना अग्रवाल, डॉ.कुलवंत सिंह एवं डॉ.अखिलेश कुमार भारती अगस्त 2002 के पूर्व से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, इनके विरूद्ध संचालनालय द्वारा विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किये गये थे। विभागीय जांच में संबंधित चिकित्सकों पर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये थे। फलस्वरूप शासन द्वारा तीनों चिकित्सकों को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दिनांक 28.09.2004 को सेवा से पृथक कर दिया गया है। डॉ.संजय नंदेश्वर, डॉ.श्रीमती अल्पसंजय नंदेश्वर दिनांक 21.10.2002 से अनाधिकृत अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध भी सेवा से पदच्युति का अनुशासनिक मामला विचाराधीन है। **प्रकरण में लोक सेवा आयोग का अभिमत मांगा गया है। तत्पश्चात् अग्रिम कार्रवाई की जावेगी।** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 16-196/2005/17/मेडि-1, दि.27.10.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.22849/वि.स./ आश्वा./2012 दि. 21.11.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***विभागीय जांच की आज दिनांक की कार्रवाई से समिति अवगत होना चाहेगी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	84	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 09.08.2002	डॉ.विनायक मिश्रा शल्य क्रिया विशेषज्ञ रीवा को उनके लंबित वेतन का भुगतान किये जाने की अवधि।	निश्चित ही उस पर नियमानुसार अनुसार कार्रवाई की जायेगी। 1. वह इन सब चीजों की जांच करा देंगे जांच प्रतिवेदन देखने के बाद निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वे जांच शीघ्रातिशीघ्र करेंगे जांच प्रतिवेदन देखने के बाद यदि उनकी पात्रता आती है तो हम उसके पेमेन्ट करेंगे। 2. ज्यों ही जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होगा। 3. यदि उन्होंने काम किया है तो वेतन मिलेगा 15 दिन में। 4. मैंने जांच का आश्वासन दिया है।	मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 965/2002/17/मेडि-1, दि. 26.03.2002 द्वारा डॉ.विनायक मिश्रा शल्य क्रिया विशेषज्ञ रीवा का वेतन अस्थाई रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरमौर, जिला रीवा में रिक्त शल्य क्रिया विशेषज्ञ के रिक्त पद से आहरित करने की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा को प्रदान की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-16/258/2007/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 19.11.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
23.	282	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.475) दि. 18.07.2002	डॉ.टी.एन.छत्तानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जबलपुर के विरूद्ध शिकायत की जांच कर सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद से पृथक किया जाना।	जांच में दोषी पाये जाने पर	डॉ.टी.एन.छत्तानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रभारी सिविल सर्जन, जबलपुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. एफ-12-22/02/17/मेडि-1, दिनांक 26.10.2002 द्वारा आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच का प्रक्रिया के दौरान दिनांक 11.05.05 को डॉ.छत्तानी का निधन हो गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-16/262/2006/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 16.01.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	86	ता.प्र.सं.02 (क्र.702) दि.19.07.2002	जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड के अधीन सहायक शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना।	1. परीक्षणाधीन है, यथासमय शीघ्र। 2. जी.ए.डी. से शीघ्र निराकरण हो जायेगा। जो प्रस्ताव मैंने बताये हैं उनको द्वितीय क्रमोन्नति मिल जायेगी। 3. यथाशीघ्र हो जायेगा।	द्वितीय क्रमोन्नति हेतु सहायक शिक्षकों की डी.पी.सी. हो चुकी है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 1477/2796/1/3/5, दिनांक 03.09.05 के द्वारा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 01.08.2003 से दिया गया है तथा जिला भिण्ड में आज तक सभी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **946/637/2010/20-1, दिनांक 29.05.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
25.	90	ता.प्र.सं.15 (क्र.973) दि.19.07.2002	टीकमगढ़ जिले में अशासकीय शिक्षा संस्थाओं में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की जांच।	(1) निश्चित रूप से इसका परीक्षण कराकर एक समय सीमा में जांच करा दूंगा। (2) जिला कलेक्टर से जांच करा लेंगे।	जिला संयोजक आ.जा.क्र. विभाग टीकमगढ़ के पत्र क्र. 1860, दि.19.10.05 के द्वारा लेख किया गया है कि वर्ष 2001-02 में अशासकीय शिक्षण संस्था में शतप्रतिशत छात्रवृत्ति के वितरण का मासिक सत्यापन विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं कार्यालय के कार्यपालिक अधिकारियों द्वारा कराया गया था, जिसमें एक भी फर्जी छात्रवृत्ति का प्रकरण नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-30-88/20-3/200, दिनांक 22.10.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	91	ता.प्र.सं.24 (क्र.1043) दि. 19.07.2002	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रायवेट विद्यालयों को प्राचार्य द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच।	प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	वर्ष 1994 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित 17 प्राचार्यो के प्रकरण में अपेक्षित पूर्तियां (अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित होना) नहीं पाया गया था। प्रारंभिक जांच परीक्षण उपरांत 04 प्राचार्यो की बीएड/एम.एड.अवधि के शिक्षण अनुभव को मान्य किया गया है। 02 प्राचार्यो की विभागीय जांच प्रारंभ की गई इनमें से एक प्रकरण में न्यायालयीन स्टे होने से कार्रवाई लंबित है। शेष 11 प्रकरणों में शासन निर्णयानुसार स्थल जांच की कार्रवाई की गई। दस प्रकरणों में स्थल जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 05 प्राचार्यो के वांछित अनुभव की पुष्टि होती है। 05 प्राचार्यो के वांछित अनुभव की पुष्टि नहीं हुई। इनमें से चार प्राचार्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ संवर्ग में है। अत: इनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिवेदित किया गया है। शेष एक प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। एक प्राचार्य श्री सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह जांच शीघ्र पूर्ण कर कार्रवाई की जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **30-259/20-2/2005, दिनांक 19.06.2006** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 13967/वि.स./आश्वा./2008 दि. 12.06.2008 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***एक प्राचार्य श्री सतेन्द्र कुमार त्रिपाठी का जांच प्रतिवेदन की अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
27.	94	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.773) दि.19.07.2002	श्योपुर विकास खण्ड की प्रायमरी पूरक परीक्षा के रिकार्ड में हेरा फेरी की शिकायत की जांच एवं संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई।	श्री के.एन.शुक्ला, तत्कालीन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दोषी है, नियमानुसार कार्रवाई प्रचलन में है।	आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहां जांच प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 30-76/2002/20-4,** **दिनांक 10.06.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15912/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 23.07.2007 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***जांच की अद्यतन स्थिति?*** आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहां जांच प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ-30-76-2002-20-4, दिनांक 19.06.2008** लगातार पत्राचार के बावजूद भी आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	96	अता.प्र.सं.21 (क्र.512) दि.19.07.2002	प्रदेश के शिक्षकों को ओ.बी.बी. योजना अंतर्गत एरियर्स का भुगतान किया जाना।	अन्य जिलों के लिए परीक्षण किया जा रहा है।	लोक शिक्षण संचालनालय के जारी ज्ञाप दिनांक 21.07.2004 के अनुसार ओ.बी.बी. योजनान्तर्गत जिन सहायक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पांचवें वेतनमान के लागू होने के दिनांक 01.01.1996 के पूर्व समाप्त हुई है उन्हें परिवीक्षा समाप्ति उपरांत तत्समय प्रचलित सहायक शिक्षक का वेतनमान 1200-2040 का एवं जिन सहायक शिक्षकों की परीवीक्षा अवधि दिनांक 01.01.1996 के अथवा उसके बाद पूरी हुई है उन्हें परिवीक्षा पूरी होने के उपरांत तत्स्थानी वेतनमान 4000-6000 का लाभ दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **आर क्र. 759/1171/2015/20-2, दिनांक 23.05.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
29.	102	ता.प्र.सं.11 (क्र.2077) दि.26.07.2002	जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	नियुक्ति संबंधी कार्रवाई प्रचलित है।	प्रश्नांकित अवधि के लंबित 23 अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में कार्रवाई पूर्ण करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1942/2012/20-1, दिनांक 15.10.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
30.	105	अता.प्र.सं.30 (क्र.1479) दि.26.07.2002	अशासकीय उ.मा.वि.मझगवां के कर्मचारियों का संविलियन किया जाना।	(1) जिनका परीक्षण किया जा रहा है। (2) कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (3) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर समुचित कार्रवाई की जा रही है।	अशासकीय उ.मा.वि. मझगवां जिला रीवा में कार्यरत कर्मचारियों के संविलियन के संबंध में अनुरोध है कि मा.उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश दिनांक 14.05.2012 को श्री दिनेश पटेल का संविलियन शिक्षाकर्मी वर्ग-1 राजनीति शास्त्र में किया जाकर दिनांक 01.04.2007 से वेतनमान रूपये 5000-175-8500 पर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन किया गया है। जबकि शेष अन्य कर्मचारियों द्वारा मा.न्यायालय, जबलपुर से स्थगन प्राप्त है। वेकेट हेतु जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा निर्णय अपेक्षित है, निर्णय उपरांत ही कार्रवाई किया जाना संभव होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **411/483/2014/20-3, दिनांक 24.05.2014**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	109	अता.प्र.सं.01 (क्र.101) दि. 26.07.2002	व्यावसायिक शिक्षान्तर्गत व्याख्याताओं की त्रुटि पूर्ण नियुक्तियों पर कार्रवाई की जाना।	शासन स्तर पर विचाराधीन।	वर्ष 1999 में 17 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में तो नियुक्तियों की गई थी, उन्हें शासन के पत्र क्रमांक एफ 57-9/99/20-2, दिनांक 31.05.2004 के क्रम में संचालनालय द्वारा कार्यरत सभी व्याख्याताओं को सेवा समाप्त करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। न्यायालयीन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मामला वर्तमान में विभाग में परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1592/1659/20-2/2005, दिनांक 13.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.13967/वि.स./आश्वा./2008 दि. 12.06.2008 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***1. न्यायालयीन निर्णय क्या है।*** ***2. मामले में निर्णय की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	116	अता.प्र.सं.21 (क्र.2155) दि. 02.08.2002	जनसमस्या निवारण वनखेड़ी शिविर में सहायक शिक्षकों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना।	परीक्षण उपरांत लाभ दिया जायेगा।	शिविर में श्री भवानी प्रसाद सराठे प्र.पा.(से.नि.) का दो वेतनवृद्धि के प्रकरण पर कोष लेखा द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण दिनांक 09.05.2005 को संयुक्त संचालक कोष लेखा म.प्र.भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है। अनुमोदन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 30-67/2005/20-4, दिनांक 10.06.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परिक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 22405/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 06.10.2005 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही गई थी। इसके पश्चात् समिति ने इस सचिवालय के पत्र क्र. 15912/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 23.07.2007, 13967/वि.स./आश्वा./2008, दिनांक 12.06.2008 एवं 18744/वि.स./आश्वा./09, दिनांक 09.10.2009 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***श्री भवानी प्रसाद सराठे सेवा निवृत्त के वेतन वृद्धियों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई।*** श्री भवानी प्रसाद सराठे, प्रधानपाठक(से.नि.) को मेट्रिक पास शिक्षित होने पर दो वेतनवृद्धि का लाभ मूल आदेश के अभाव में कोष एवं लेखा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। पुन: प्रकरण विभाग के आदेश क्रमांक 8471/7573/ 20-1/71, दिनांक 15.12.71 के परिपालन में जो कि प्रशिक्षित शिक्षकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने से संबंधित था का उल्लेख करते हुये विकासखंड शिक्षा अधिकारी वनखेड़ी की ओर से उनके पत्र क्रमांक -17, दिनांक 14.01.10 के द्वारा संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म.प्र.भोपाल को वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु सेवा अभिलेख सहित प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा म.प्र.भोपाल का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1600/आर-1607/2012/20-1, दिनांक 06.08.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	123	परि.अता.प्र.सं.53 (क्र.4139) दि. 09.08.2002	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सागर के प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्रवाई की जाना।	यदि सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	- तत्कालीन प्राचार्य डाइट श्री एल.एन.द्विवेदी स्वर्गवासी हो चुके है। - वर्तमान में श्री आर.एस.राजपूर प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-30-164/2008/20-1, दिनांक 01.10.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
34.	127	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 09.08.2002	जिला शिक्षा अधिकारी दतिया द्वारा शासन के नीति निर्देशों के विरूद्ध कार्य करने अंकसूची में हेराफेरी करने एवं अन्य अनियमितता की जांच एवं कार्रवाई।	1. इसे भी कम्प्यूटराईज करके समय पर वितरित कराने का आश्वस्त करता हूं। जहां तक जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने का प्रश्न है फिलहाल हटाउंगा नहीं लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी से जांच जरूर करा लूंगा। इसके बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करवा दूंगा। 2. वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करा दूंगा। 3. समय सीमा तो सितंबर तक है। 4. जांच के बाद यदि दोषी पाया जाएगा तो उसकों हटाएंगे भी। 5. करा देंगे, आयुक्त से करा देंगे।	डॉ.ए.के.शर्मा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, दतिया के विरूद्ध ज्ञाप क्रमांक सत/बी/101/02/304, दिनांक 18.02.2003 द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया गया है। विभागीय आदेश दिनांक 23.04.2004 द्वारा डॉ.ए.के.शर्मा की सेवाए उनके मूल विभाग(उच्च शिक्षा विभाग) वापस कर दी गई है। उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु दिनांक 19.01.2010 द्वारा समस्त नोटिस का जांच प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिए गए है। कार्रवाई अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ही की जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 30-11/2005/20-4,** **दिनांक 19.01.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 13035/वि.स./आश्वा./2010 दि. 03.07.2010 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई उनके परिणामों से समिति अवगत होना चाहेगी अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	134	ता.प्र.सं.04 (क्र.657) दि.23.07.2002	(1) विदिशा जिले के ग्राम गुरारिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम ठर्र की अपूर्ण योजना भुगतान के अभाव में बंद योजना को शुरू कराया जाना। (2) ग्राम ठर्र में टंकी निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना। (3) ग्राम ठर्र में टंकी निर्माण का कार्य अधूरा होने की जांच।	(1) जैसे ही भुगतान करेंगे वे चालू कर देगें। (2) राशि दे दी गई है और हम पंचायत से अनुरोध करेगें कि उसे जल्दी पूर्ण कर दें। (3) यदि टंकी का काम अधूरा है तो उसे पूरा करा दूंगा।	ग्राम ठर्र, विकासखंड विदिशा की नलजल योजनान्तर्गत आर.सी.सी. ओव्हरहैंड टैंक 6500 लीटर ऊंचाई 12 मीटर का निर्माण पूर्ण है। योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित है एवं ग्राम में टंकी के माध्यम से जल प्रदाय जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 10-239/2002/22/पं-1, दिनांक 21.05.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.
36.	136	ता.प्र.सं.23 (क्र.1724) दि. 23.07.2002	सीहोर जिले के ग्राम जिले पंचायत गऊखेड़ी में अपात्र व्यक्तियों को कुटीर का वितरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	दोषी पाये जाने पर विधिवत् कार्रवाई संभव है।	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इछावर, जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्र. 02/अ-89/01-02 के द्वारा सरपंच को धारा 40 के प्रावधानों के अंतर्गत सरपंच पद से पृथक किया गया तथा न्यायालय कलेक्टर सीहोर द्वारा प्रकरण क्र. 34/अपील/01-02, दिनांक 27.09.2002 में पारित आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इछावर के आदेश को निरस्त किया गया। उपरोक्त के अलावा कोई भी अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 2098/22/वि7/ग्राआ./वि.स./2012, दि.17.02.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
37.	137	परि.अता.प्र.सं.34 (क्र.1429) दि. 23.07.2002	शिवपुरी जिले के स्टापडेम पड़ौदा एवं पहाड़ा में निर्माण कार्यो में की गई अनियमितताओं में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	कार्रवाई प्रचलन में है।	दोषी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये जाकर विभाग के आदेश क्रमांक 3273/654/22/वि-3/ग्रायासे, दिनांक 03.10.02 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 1552/22/वि-3/ग्रायांसे/2005, दिनांक 02.04.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.22287/वि.स./आश्वा./2012 दि.16.11.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	156	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.2413) दि. 06.08.2002	पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखण्ड में वाटरशेड निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच एवं संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	माइक्रो वाटरशेड बरियापुर के अंतर्गत अभिलेखों की जांच के उपरांत निम्नलिखित दोषी पाये गये तथा उनके सामने दर्शाई गई राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है :- 1. श्री राम किशोर मिश्रा, अध्यक्ष रू.45000 2. श्री प्रजापति, सचिव रू.2000 3. श्री एम.सिद्दीकी, परि.अधि. रू.45000 4. श्रीमती शाहनाज बानो, पीआईए सदस्य रू.7500 क्र. 1 व 2 से राशि वसूली हेतु संबंधित तहसीलदार को दिनांक 03.07.2004 को पत्र भेजा गया है। क्र. 3 से राशि वसूली हेतु मुख्य अभियंता, बाणसागर को वेतन से राशि काटकर जमा किये जाने हेतु दिनांक 03.07.2004 को पत्र भेजा गया है। क्र. 4 से राशि वसूली हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना को दिनांक 03.07.2004 को पत्र भेजा गया है। जांच उपरांत उपरोक्त कार्यवाही की गई है। वसूली की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **641/22/वि-9/आरजीएम/2005, दिनांक 18.01.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 17317/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 29.07.2005, 9011/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 16.03.2006, 13288/वि.स./आश्वा./2008, दिनांक 30.05.2008, 18745/वि.स./आश्वा./2009, दिनांक 09.10.2009 एवं 12725/वि.स./आश्वा./2011, दिनांक 07.06.2011 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***राशि वसूली की अद्यतन स्थिति।*** संबंधित कमेटियों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर माइक्रोवाटरशेड बरियापुर के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं के पश्चात् संबंधित अध्यक्ष श्री रामकिशोर मिश्रा माइक्रोवाटरशेड कमेटी से 45000/- श्री एम सिद्दीकी परियोजना अधिकारी से 45000/- तथा पी.आई.ए. सदस्य श्रीमती शहनाजबानों से राशि रू.7500/- एवं सचिव श्री प्रजापति से राशि रू.2000/- की वसूली करने के आदेश कलेक्टर पन्ना के पत्र क्रमांक 4522/वि.स./ वाटरशेड/2004, दिनांक 31.12.2003 के माध्यम से संबंधित विभाग एवं तहसीलदार अजयगढ़ को दिये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **13572/22/वि9/आर.जी.एम./ 2011,** **दिनांक 24.08.2011**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 26976/वि.स./आश्वा./2011, दिनांक 26.12.2011, 22287/वि.स./आश्वा./12, दिनांक 16.11.2012 एवं 10511/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 02.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रकरण के निराकरण में 10 वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है। दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कितनी राशि वसूल की गई एवं कितनी शेष है तथा प्रकरण के निराकरण में विलंब के कारणों पर टीप तथा असाधारण विलंब के दोषियों की जानकारी तथा उन पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	160	ता.प्र.सं.04 (क्र.754) दि. 17.07.2002	जिला सतना के कृ.उ.म.समिति में व्यापारियों से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पांच गुना मण्डी शुल्क जमा न करनें की शिकायत पर मण्डी सचिव के विरूद्ध कार्रवाई।	(1) मण्डी समिति द्वारा आर.आर.सी. जारी कर दी गई है। उनसे पूरी पांच गुना वसूली होगी। (2) मैं निश्चित रूप से सचिव के विरूद्ध कार्रवाई करूंगा।	इस मामले में संबंधित व्यापारियों से वूसली हेतु आर.आर.सी. के प्रकरण तैयार कर तहसीलदार, रघुराजनगर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 20 व्यापारियों से रूपये 55,06,926/- वसूली योग्य राशि में से 2010072/- वसूल की जा चुकी है। शेष राशि रूपये 3496856/- वसूली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से व्यापारियों ने स्थगन प्राप्त किया है। प्रकरण में विभागीय जांचोपरांत मंडी सचिव श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव को आदेश दिनांक 03.06.2005 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, मंडी सचिव को आदेश दिनांक 24.03.08 द्वारा दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति देकर दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- डी-10/254/2002/14-3, दिनांक 15.02.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.	168	अता.प्र.सं.15 (क्र.1052) दि. 24.07.2002	सतना मंडी में धर्मकांटा क्रय किया जाकर उसे चालू न करने के कारण मंडी को हुई क्षति के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध जांच एवं कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन दिनांक 06.07.02 को प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।	जांच प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को सौंपे जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **डी-10/262/2002/14-3, दिनांक 14.07.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 17316/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 29.07.2005, 9000/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 16.03.2006, 15725/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 20.07.2007, 12750/वि.स./आश्वा./11, दिनांक 07.06.2011, 22284/वि.स./आश्वा./12, दिनांक 16.11.2012 एवं 10512/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 02.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***जांच प्रतिवेदन की प्रति एवं आर्थिक अन्वेषण ब्यूरों को सौंपे जाने के उपरांत आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति।*** जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत 13 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये जिसमें से 08 को दोषमुक्त किया जा चुका है। एक का स्वर्गवास हो जाने तथा दो को सेवानिवृत्त हुए चार वर्ष से अधिक समय हो जाने से नियमानुसार इनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है एक अधिकारी श्री नवीन कुमार तिवारी (रा.प्र.से) को सामान्य प्रशासन विभाग से उत्तर देने हेतु स्मरण पत्र दिया गया है। तथा श्री जगदीश सिंह तत्कालीन मण्डी अध्यक्ष को जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है जिसके परीक्षण उपरांत मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** **डी-1477/14-3, दिनांक 08.06.2013** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 14134/वि.स./आश्वा./2013, दि.18.06.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही :- ***(1) विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया है वह राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरों का किया है या विभागीय जांच के प्रतिवेदन का परीक्षण किया है?*** ***(2) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु 11 वर्ष का असाधारण विलंब करने का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही।***	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(3) श्री नवीन कुमार (रा.प्र.से.) अधिकारी तथा श्री जगदीश सिंह तत्कालीन मंडी अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही की अद्यतन स्थिति। लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	
41.	180	अता.प्र.सं.07 (क्र.2792) दि.07.08.2002	निवाड़ी स्थित बरदई नदी पर निर्मित पुलिया कम स्टापडेम के घटिया निर्माण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई एवं उसकी मरम्मत कराई जाना।	जांच के निष्कर्ष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाना संभव होगी।	संचालनालय के आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2004 द्वारा उप संचालक कृषि भूमि संरक्षण एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टीकमगढ़ द्वारा की गई प्राथमिक जांच के आधार पर पत्र दिनांक 13.05.2005 से कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण जारी किया गया। क्षतिग्रस्त संरचना की पूर्ण मरम्मत कराई जा चुकी है। जारी कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण के प्राप्त उत्तर के परीक्षण पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये :- **1.** क्षतिग्रस्त संरचना की पूर्ण मरम्मत कराई जा चुकी है। **2.** संचालनालय के आदेश दिनांक 18.06.2013 द्वारा दोषी श्री मान सिंह यादव, तत्का. कृषि विकास अधिकारी की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति से दंडित किया गया। **3.** श्री एम.एल.जैन, तत्कालीन स.भू.सं.अ., टीकमगढ़ का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। **4.** तत्का. स.भू.सं.अ. टीकमगढ़, री एस.एल.शर्मा एवं श्री राजाराम रावत, तत्का. सर्वेयर के दिनांक 29.02.04 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण जारी कारण बताओ नोटिस नस्तीबद्ध किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **डी-10-307/2/14-3, दिनांक 06.07.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	140	अता.प्र.सं.16 (क्र.680) दि. 27.02.2002	नगर पालिका परिषद सारनी जिला बैतूल में दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों द्वारा बिना आदेश के छापे गए विज्ञापनों पर कार्रवाई।	प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	साप्ताहिक समाचार पत्रों के द्वारा बिना आदेश के विज्ञापन छापा गया है। ऐसी स्थिति में इन समाचार पत्रों पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकरण समाचार पत्रों और निकाय के बीच का है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 1947/2008/18-1, दिनांक 30.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
43.	184	ता.प्र.सं.09 (क्र.24) दि. 16.07.2002	डबरा नगर पालिका के तत्कालीन सी.एम.ओ. श्री जैन के विरूद्ध जांचों का निराकरण।	1. विभागीय जांच चल रही है उसके जो तथ्य सामने आयेंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। 2. मैं इस सदन में उसको निलंबित करने की घोषणा करता हूँ। 3. प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जावेगी।	नगर पालिका डबरा में हुई अनियमितता में श्री जैन को दोषी पाये जाने पर प्रथमत: दृष्टया उन्हें विभागीय आदेश दि. 16.07.02 द्वारा निलंबित किया जाकर दि. 12.07.02 को आरोप पत्र जारी किये गये। श्री जैन से उत्तर प्राप्त होते ही गुण दोष के आधार पर समुचित निर्णय लिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 11-77/02/18/1, दिनांक 17.07.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 19438/वि.स./आश्वा./12 दि. 24.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***श्री जैन के विरूद्ध प्रतिवेदन में क्या निर्णय लिया गया कि अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
44.	186	परि.अता.प्र.सं.12 (क्र.305) दि. 16.07.2002	टीकमगढ़ जिले के नगरीय निकायों को वर्ष 2001-02 में चुंगी क्षतिपूर्ति एवं यात्रीकर क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराई जाना।	समर्पित राशि के लिए अनुपूरक अनुमान में प्रावधान करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रावधान होने पर राशि प्रदाय की जायेगी।	अद्यतन स्थिति में कोई भुगतान शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 1168/2008/18-1, दिनांक 31.03.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	193	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.858) दि. 23.07.2002	नगर पालिका परिषद पसान में निर्माण कार्य सामग्री क्रय में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1713/1279/2011/18-3, दिनांक 20.06.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचि. के पत्र क्रं.19438/वि.स./आश्वा./12 दि.24.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ अथवा नहीं की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
46.	195	परि.अता.प्र.सं.21 (क्र.1137) दि. 23.07.2002	जिला बैतूल नगर पालिका परिषद सारणी के सी.एम.ओ. श्री जी.पी. भार्गव द्वारा सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन एवं तानाशाही पूर्ण रवैया की जांच।	प्रकरण में संभागीय कार्यपालन यंत्री भोपाल संभाग से जांच कराई जा रही है।	प्रकरण की जांच कराई गई। दोषिता के बिंदुओं पर श्री भार्गव को दि. 21.05.02 को निलंबित किया तथा दि. 28.06.02 को आरोप पत्रादि जारी किये गये। श्री भार्गव द्वारा प्रस्तुत आरोपों का उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.02 द्वारा नियमित विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 11/80/02/1811, दिनांक 18.05.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचि. के पत्र क्रं. 19438/वि.स./आश्वा./12 दि. 24.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***विभागीय जांच के उपरांत क्या कार्रवाई की गई की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
47.	197	अता.प्र.सं.58 (क्र.1639) दि. 23.07.2002	बरघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरूपयोग कर बिना अनुमति धन व्यय करने के विरूद्ध कार्रवाई एवं जांच।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	श्री अनिल सिंह ठाकुर तत्कालीन अध्यक्ष नगर पंचायत बरघाट जिला सिवनी को विभाग के पत्र दिनांक 15.02.2000 द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(क) के अंतर्गत कारण बताओ सूचन पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात प्राप्त प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने के फलस्वरूप श्री ठाकुर की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2012 द्वारा अध्यक्ष पद पर पदासीन न होने के स्थिति मे श्री अनिल सिंह ठाकुर, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पंचायत बरघाट जिला सिवनी को उनके कार्यकाल में नगर पंचायत में की गई अनियमितता के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35(क) के अंतर्गत आगामी दो वर्ष के लिये निर्वाचन के अयोग्य घोषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 4-37/2001/18-3, दिनांक 27.02.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	198	ता.प्र.सं.14 (क्र.2327) दि. 30.07.2002	1. इंदौर में स्टेडियम निर्माण हेतु आरक्षित भूमि पर से अवैध निर्माण कार्यों को हटाया जाना। 2. कालोनाईजर द्वारा अवैध रूप से कालोनी का निर्माण करने पर भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत कार्रवाई।	1. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 2. हम निर्देशित करेंगे नगर निगम को, कि अतिशीघ्र यह अवैध निर्माण हटवायें। 3. उसे निलंबित करने के लिए निर्देश नगर निगम को दिए जाएंगे तथा निश्चित रूप से कालोनाईजर के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।	1. प्रकरण की जांच की गई, कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। 2. जिला प्रशासन (नजूल)/प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अवैधानिक निर्माण हटाया गया। 3. जांच रिपोर्ट में कोई दोषी नहीं पाया गया। कालोनाईजर के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत कार्रवाई लंबित। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **2654/2008/18-1, दिनांक 10.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
49.	203	ता.प्र.सं.09 (क्र.1449) दि. 06.08.2002	विदिशा नगर पालिका सीमा क्षेत्र में नीम तालाब गहरीकरण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच पूरी करा लेंगे।	प्रकरण की जांच 6 सदस्य कमेटी द्वारा की गयी। इस कमेटी का जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **4020/2008/18-1, दिनांक 30.06.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
50.	205	अता.प्र.सं.102 (क्र.4087) दि. 06.08.2002	भिण्ड नगर पालिका द्वारा कीर्ति स्थल में दी गई भूमि की राशि का भुगतान प्राप्त न होना।	प्रकरण में विधि अनुसार कार्रवाई की जावेगी।	कीर्ति स्तंभ का निर्माण नगर पालिका भिण्ड द्वारा भूमि आवंटित नहीं करने के बाद भी किया गया है। भूमि का मुआवजा रू.2.70 करोड़ नगर पालिका को अब तक नहीं मिला है। मुआवजा के लिये पत्राचार प्रारंभ है किंतु भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण प्रकरण में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूमि का स्वामित्व नगर पालिका के पास में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1941/2008/18-1, दिनांक 30.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	207	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 08.08.2002	1. सागर नगर निगम के प्रभारी आयुक्त द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित शिकायत पर कार्रवाई। 2. शिकायत की जांच कमिश्नर सागर से कराई जाना। 3. वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति करने की अवधि।	1. हम विधिवत जांच कलेक्टर से करा रहे हैं। कलेक्टर का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से जो भी सक्षम कार्रवाई होगी, की जाएगी। 2. हम जांच के बिंदु कमिश्नर रेवेन्यू सागर संभाग को दे देंगे और वे इसकी जांच कर लें। उनका जांच प्रतिवेदन आने पर जो भी अपराध सिद्ध होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।	संभागीय आयुक्त, सागर और कलेक्टर सागर से जांच कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1713/279/2011/18-3, दिनांक 20.06.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.19438/वि.स./आश्वा./2012 दि. 24.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***सागर नगर निगम के प्रभारी आयुक्त के विरूद्ध की जा रही जांच एवं कार्रवाई की अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	372	अता.प्र.सं.45 (क्र.1787) दि. 24.07.2002	दतिया जिले की इंदरगढ़, सेवढ़ा एवं भाण्डेर नगर पंचायतों में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में फर्जी प्रकरणों की जांच।	जांच कार्रवाई प्रचलित है।	**(प्रकरण समाज कल्याण विभाग द्वारा मा.उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के अनिल कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 13.11.2007 के प्रकाश में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रथमत: दिनांक 07.09.2010 को हस्तांतरित करते हुये निम्नांकित जानकारी उपलब्ध कराई गई)** अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सेवढ़ा से राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रकरणों की जांच कराई गई, जिसमें 10 अपात्र हितग्राहियों को राशि 70,000/- का अनियमित भुगतान करने के लिये श्री ए.के.दुबे तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत इंदरगढ़ को दोषी पाया गया था। उनसे उक्त राशि की वसूली उनके वेतन से करने के आदेश जारी किये गये थे। श्री दुबे द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय, ग्वालियर से दिनांक 16.12.04 को वेतन वसूली के विरूद्ध स्थगन प्राप्त किया गया। मान. न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.07 द्वारा आदेश पारित किया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दुबे को सूचना पत्र जारी करने एवं राशि की वसूली करने का अधिकार नहीं हैं। अत: उक्त वसूली आदेश मान. न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। **श्री ए.के. दुबे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारी है। अत: उनसे रूपये 70,000/- की वसूली की कार्रवाई करने हेतु सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 17.09.2010 द्वारा लिखा जा चुका है।** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 5-16/2011/26-1,दिनांक 29.06.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 19438/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 24.09.2012 द्वारा विभाग से अद्यतन जानकारी चाही गई, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	210	परि.अता.प्र.सं.24 (क्र.503) दि. 19.07.2002	सतना जिले में प्रिज्म परिसर से डिसमेंटल की गई सामग्री में अनियमितता।	जी हां आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की जा रही है।	संबंधित सहायक यंत्री श्री जी.डी. त्रिपाठी को प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की गई । विभागीय जांच के निष्कर्ष के अनुसार मुख्य अभियंता(रीवा क्षेत्र) के आदेश क्रमांक 063-01/06/वि.जांच/डी.ई.-156/0/ 13/61, दिनांक 06.12.2006 द्वारा एक आगामी वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिये रोके जाने की अंतिम दण्डादेश पारित कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 11-532/2002/तेरह, दिनांक 18.12.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
54.	213	अता.प्र.सं.46 (क्र.2030) दि. 26.07.2002	जबलपुर संभाग के अंतर्गत विद्युत मंडल कार्यालय सिवनी एवं बालाघाट के कर्मचारियों के भविष्य निधि आदि का भुगतान कराया जाना।	उक्त लंबित प्रकरणों को नगद रकम की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र भुगतान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	भविष्य निधि के आंशिक अंतिम भुगतान के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 3769/एफ-11/532/13/2002, दिनांक 29.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
55.	214	परि.अता.प्र.सं.69 (क्र.2357) दि. 26.07.2002	सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी/ कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भविष्य में आवश्यकतानुसार विचार किया जाना संभव हो सकेगा।	सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 वितरण केन्द्र एवं 1 उपसंभाग है जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों के 229 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध 192 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं । इस प्रकार 37 पद रिक्त हैं । पूरे कंपनी क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई प्रचलित है । वर्तमान में कर्मचारियों की कमी के कारण कंपनी कार्यालय में (OUT-SOURCING) बाहरी व्यक्तियों से कार्य कराया जाने लगा है । अत: खाली पद भरने की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 11-532/02/तेरह, दिनांक 21.11.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
56.	219	अता.प्र.सं.35 (क्र.3793) दि. 09.08.2002	भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद के नया बसेरा (गंदी बस्ती) निर्मूलन मण्डल क्षेत्र के आवासों में मीटर लगाया जाना।	निर्धारित राशि का पूर्ण भुगतान होने पर मीटर लगा दिया जावेगा।	कोटरा सुल्तानाबाद के नया बसेरा (गंदी बस्ती उन्मूलन) क्षेत्र के सभी झुग्गी बस्ती में ऐसे उपभोक्ताओं जिनके द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई हैं, के यहॉ विधिवत् प्रदान किये जा चुके हैं। यह कनेक्शन माह अप्रैल 2002 से मार्च, 2008 के मध्य प्रदान किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 4020/एफ-11/532/13/2002, दिनांक 07.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	220	अता.प्र.सं.05 (क्र.156) दि. 18.07.2002	मानसिक चिकित्सालय इंदौर में एनेस्थेटिस्ट की नियुक्ति की जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर द्वारा एनेस्थेटिस्ट की पूर्ति के लिए चिकित्सा महाविद्यालय से सहायक प्राध्यापक एनेस्थिसिया को सप्ताह में तीन दिन रोटेशन के द्वारा मानसिक रोग चिकित्सालय, इंदौर में संलग्न कर चिकित्सा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त मानसिक चिकित्सालय को जब भी एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है तो उन्हें अधिष्ठाता, चिकित्सालय महाविद्यालय इंदौर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मानसिक आरोग्यशाला, इंदौर में स्वीकृत एनेस्थेटिस्ट का पद चिकित्सा अधिकारी का है, जिसे उन्नयन कर सहायक प्राध्यापक का पद स्वीकृत करने हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-10-58/2011/1/55, दिनांक 12.07.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
आयुष विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	221	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.474) दि. 18.07.2002	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यो. म.प्र. भोपाल के लेखापाल के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पद की पूर्ति यथाशीघ्र की जायेगी।	आरक्षित श्रेणी के 9 उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण डी.पी.सी. नहीं हो पा रही है। उम्मीदवार उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 14-36/2002/2/पचपन, दिनांक 05.06.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	235	ता.प्र.सं.01 (क्र.4594) दि. 09.08.2002	(1) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भोपाल द्वारा अखबार में छपी खबरों के अनुसार 5 इकाईयों के विरूद्ध की गई कार्रवाई। (2) बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर डिस्टलरीज के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं जांच के समय बोर्ड के सदस्यों को सम्मिलित किया जाना।	(1) जो पेपर छपा है उसकी जांच करवा लेंगे। (2) कटिंग का अवलोकन करके जो उचित होगा मैं कार्रवाई करूंगा। (3) 1- मै आज ही आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि बोर्ड की जो भी बैठक होगी जो भी एजेंडा होगा जो भी मिनिट्स होगा हमारे पास आयेगा तो उसके आधार पर जो क्रियान्वयन के समुचित निर्देश होंगे उसका निश्चय रूप से पालन कराऊंगा। 2- बोर्ड का जो चेयरमेन है उनको निर्देश करूंगा कि समय-समय पर उनको ले लिया करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे।	(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो दोषी उद्योग मेसर्स कॉक्स डिस्टलरीज नौगांव, जिला छतरपुर के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के दोषी होने के कारण दिनांक 14.11.2002 को जल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दायर किया गया था । प्रकरण में दिनांक 11.05.2010 के निर्णय अनुसार अभियुक्तिगण दोषमुक्त किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील दिनांक 03.09.2010 को दायर की गई है। (2) मेसर्स सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी, जिला बैतूल के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के दोषी होने के कारण दिनांक 13.02.2003 को जल तथा वायु अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में दायर वैधानिक प्रकरण में दिनांक 30.03.2010 को साक्ष्य हो चुके है व प्रकरण आरोप निर्धारण हेतु न्यायालय में विचाराधीन है । उद्योग के विरूद्ध दिनांक 23.12.09 को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दायर किये गये है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं रिज्वाइन्डर के विचार हेतु आगामी तिथि दिनांक 01.07.2011 नियत की गई है। (3) राज्य बोर्ड की बैठक दि. 17.07.2002 में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसमें राज्य बोर्ड के सदस्यों को उद्योगों के विरूद्ध कार्रवाई अथवा जांच में सतत रूप से सम्मिलित किया जाये, तथापि आवश्यकतानुसार सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है । अत: इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3179/3732/2009/32, दिनांक 08.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.	237	ता.प्र.सं.30 (क्र.3576) दि. 09.08.2002	बेतवा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिये जनहित में सोम डिस्टलरी को बंद किया जाना।	पुन: विचार अपील का निर्णय आने पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।	फरवरी-मार्च, 1997 सत्र में बेतवा नदी में प्रदूषण संबंधी प्रस्तुत याचिका क्रमांक 2644 पर याचिका समिति के तीसवें प्रतिवेदन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिंदुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें याचिका समिति के प्रतिवेदन के उन समस्त की तकनीकी, वैज्ञानिकी तथा प्रामाणिक तथ्यपरख समीक्षा करते हुए अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि यदि प्रतिवेदन को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्ण पक्ष तथा तथ्य व आंकड़े समिति तक पहुंच जाते तो संभवत: रिपोर्ट का स्वरूप भिन्न होता। अत: उन समस्त बिंदुओं की जिनका आधार लेकर याचिका समिति द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया था, पुन: वैज्ञानिकी एवं तकनीकी समीक्षा करते हुए याचिका समिति द्वारा प्रतिवेदन पर पुन: विचार किये जाने का उल्लेख था। बोर्ड के प्रतिवेदन दिनांक 19.06.98 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र दिनांक 02.07.98 द्वारा पुन: विभागीय पत्र क्रमांक एफ 9-208/97/32, दिनांक 01.11.2004 द्वारा याचिका समिति के समक्ष पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिये माननीय विधानसभा अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त करने बाबत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल को लिखा गया था, विधानसभा याचिका समिति का पुन: विचार अपील निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हो जाने तथा उक्त लंबित प्रकरण काफी पुराना होने तथा वर्तमान में अप्रासंगिक प्रतीत होने से अनुरोध है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3175/3732/2009/32, दिनांक 08.08.2011**	समिति के पास निर्णय लंबित होने मात्र के आधार पर विभाग द्वारा मामले पर निर्णय न लेना उचित नहीं है। आश्वासन अनुसार विभाग मामले में अग्रिम कार्रवाई करे, यह समिति की मंशा है।

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	261	परि.अता.प्र.सं.45 (क्र.886) दि. 18.07.2002	जिला बालाघाट के परसवाड़ा विकासखंड में हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन के निर्माण में कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार से सांठगांठ कर घटिया निर्माण किये जाने पर कार्रवाई।	परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपंरात कार्रवाई संभव हो सकेगी।	1. भवन के दो कमरों के स्लेव में समुचित लेवल मिलाकर स्लेव की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । सुधार कार्य के पश्चात कमरों में पानी टपकना बंद हो चुका है । 2. बरामदे की फ्लोरिंग, कमरों की फ्लोरिंग को दृष्टिगत रखते हुये ठीक कराई जा चुकी है तथा अब बरामदे से कमरों में पानी नहीं आ सकेगा । 3. दोषी अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किये गये है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3902/436/2005/यो/19, दिनांक 14.05.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचि. के पत्र दि.16.03.2006, 02.08.2007, 25.08.2009, 09.06.2011, 21.11.2012 एवं 04.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***दोषियों के विरूद्ध आरोप पत्र कब जारी किये गये ।*** लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है ।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
62.	262	परि.अता.प्र.सं.46 (क्र.887) दि. 18.07.2002	जिला बालाघाट में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग चौड़ीकरण करने वाले अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरूद्ध उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना ।	परीक्षण उपरांत कार्रवाई संभव हो सकेगी ।	मार्ग चौड़ीकरण के कार्य में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार किये गये हैं । अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है । ठेकेदार के अंतिम देयक से रू. 4553 की कटौती की गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **2740/2015/19/यो, दिनांक 22.05.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63.	266	अता.प्र.सं.50 (क्र.1904) दि. 25.07.2002	भिण्ड जिले में प्रतिबंधित कार्यों के भुगतान करने वाले कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	परीक्षण कराया जा रहा है।	जांच में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एस.के तिवारी लो.नि.वि. संभाग, भिण्ड को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 1-61/2002/बी/19, दिनांक 06.05.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 21740/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 28.09.2015, 8998/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 16.03.2006, 17604/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 02.08.2007, 16177/वि.स./आश्वा./2009, दिनांक 25.08.2009, 12904/वि.स./आश्वा./2011, दिनांक 09.06.2011, 22851/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 21.11.2012, 10694/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 04.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई।*** लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
64.	267	ता.प्र.सं.02 (क्र.2402) दि. 01.08.2002	सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क मार्गों के निर्माण में हुई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई किया जाना।	गुणदोष के आधार पर कार्रवाई करेंगे।	म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 17/101/2002/स्था/19/भोपाल दि.21.04.03 के द्वारा विभागीय जांच हेतु निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किए गए हैं:- 1. श्री डी.डी. अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री 2. श्री आर.के. मारू, कार्यपालन यंत्री 3. श्री जी.पी. पाण्डे, सहायक यंत्री 4. श्री एस.बी. बचकईया, उपयंत्री 5. श्री वी.के. सोनकर, उपयंत्री विभागीय जांच पूर्ण होने पर म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पृ.क्र. एफ17/101/ 02/स्था/19 भोपाल दिनांक 21.9.11 द्वारा आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण जांच प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **2168/स्था/2015/19, दिनांक 18.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
वन विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	240	ता.प्र.सं.07 (क्र.174) दि. 18.07.2002	शिवपुरी जिले के करैरा एवं पिछोर वन परिक्षेत्र में अवैध वन कटाई में लिप्त दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।	शिवपुरी जिले के करैरा एवं पिछोर वन परिक्षेत्र में अवैध कटाई में 10 कर्मचारी लिप्त पाये जाने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद न होने के कारण कुल हानि राशि रू. 3,02,391=00 को वसूली हेतु आदेश दि. 31.07.2003 से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त उपवन मंडलाधिकारी, करैरा तथा वन परिक्षेत्राधिकारी, करैरा के विरूद्ध कार्रवाई परिक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-22/120/02/10/3, दिनांक 09.01.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.18003/वि.स./आश्वा./ 2009 दि. 24.09.2009 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***उपवन मण्डलाधिकारी करैरा के विरूद्ध आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई एवं वसूली की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
66.	243	ता.प्र.सं.14 (क्र.943) दि. 22.07.2002	शिवपुरी वन मंडल में कार्यरत दै.वे.भो. कर्मचारियों को नियमित किये जाने वाले अभिलेख में की गई अनियमितता की शिकायत की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाना।	शिकायतों की जांच पूर्ण होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जावेगी। अगर रिकार्ड में हेराफेरी की है तो हम भोपाल से अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षण स्तर के अधिकारी को भेजकर जांच करवा लेंगे।	अभिलेखों का परीक्षण करने हेतु आदेश क्रमांक स्था./164, दिनांक 03.06.03 द्वारा छानबीन समिति गठित की गई। छानबीन समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर नवीन संशोधित सूची तैयार कर दी गई है। रिकार्ड में कोई हेराफेरी नहीं पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **0817/3949/2011/10-1, दिनांक 10.04.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	244	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र.621) दि. 22.07.2002	शिवपुरी जिले के अभ्यारण्य को समाप्त करने संबंधी गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा की गई अनुशंसा को भारत सरकार को भेजा जाना।	अनुशंसाओं पर विचार करने हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जावेगा मंत्री परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्रवाई की जावेगी।	मध्यप्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के सीमाओं के युक्ति-युक्तिकरण करने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा करेरा अभ्यारण्य को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। जिस पर राज्य शासन द्वारा राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का मत चाहा गया था । राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक दिनांक 19.10.2004 में निर्णय लिया गया कि करेरा अभ्यारण्य में लुप्त प्राय: प्रजाति सोनचिड़िया के रहवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य से बाहर किया जाना उचित नहीं है। राज्य शासन द्वारा जनता की कठिनाईयों एवं सोनचिड़िया देखे जाने की कोई सूचना न होने को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक दिनांक 09.06.2008 को पुन: प्रस्तुत हुआ इस बैठक में निर्णय लिया गया कि करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में सोनचिड़िया न होने से अभ्यारण्य की आवश्यकता नहीं रही तथा अभ्यारण्य में स्थित 33 ग्रामों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: अभ्यारण्य को डिनोटिफाई करने का प्रस्ताव भारत शासन को भेजे जाने हेतु सहमति व्यक्त की जाती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की सीमाओं के युक्ति-युक्तिकरण हेतु गठित समिति की दिनांक 09.04.2009 की बैठक में करेरा अभ्यारण्य को डिनोटिफाई करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय करने के पूर्व मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक-एक प्रतिनिधि के संयुक्त दल द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उक्त निरीक्षण हेतु श्री महेन्द्र व्यास, अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को अधिकृत किया गया। जिनके द्वारा 13 अक्टूबर 2009 को क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में गठित समिति की दिनांक 15.01.2010 को आयोजित बैठक में श्री महेन्द्र व्यास के अभिमत पर विचारोपरांत करेरा अभ्यारण्य की डिनोटिफिकेशन की अनुशंसा की गई। श्री महेन्द्र व्यास की रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के युक्ति-युक्तिकरण हेतु गठित समिति द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य शासन द्वारा सोन चिड़िया के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाया जाये तथा दिहायला झील को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करने के प्रयास किये जाये। इस प्रकरण पर राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा दिनांक 12.04.2010 को विचार किया गया तथा करेरा अभ्यारण्य	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					को निम्न शर्तों के तहत डिनोटिफाई करने की सहमति प्रदान की गई। 1. Dihayala lake and Government/Revenue land adjacent to lake be declared as sanctuary . 2. A survey with the help of experts such as Bombay Natural History Society be carried out to ascertain present status and distribution of status of Great Indian Bustards in the state of Madhya Pradesh, especially to determine if there are any bustards inhabiting in any areas outside Protected Areas of Madhya Pradesh and if so, these would be established as a Protected Area including expansion of existing Protected Areas of declaration of Conservation Reserves etc . 3. If the survey team finds that there are no bustards existing outside Protected Areas or none left in Madhya Pradesh, an area equeal to the area to be denotified in Karera Wildlife Sanctuary will be added to the existing Protected Area network of the State. 4. Denotification will only be permitted if the equivalent area is added to Protected Area network to the State before the denotification. 5. The committee surveying the bustard population would also determine the reasons for decimation of bustards in Karera and fix responsibility. The above recommendation (s) are subjected to the existing directives of Hon'ble Supreme Court and provisions of Forests (Conservation) Act, 1980. उक्त शर्तों तथा श्री महेन्द्र व्यास द्वारा अनुशंसित शर्तों में समानता नहीं है। राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा लगायी गयी शर्तें व्यवहारिकता पूर्ण ना होकर मान्य योग्य नहीं है, इस संबंध में भारत सरकार को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2353 दिनांक 05.04.2010 एवं मध्यप्रदेश शासन की अशासकीय टीप क्रमांक 346 दिनांक 29.05.2010 से राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की उक्त शर्तों पर पुनर्विचार करने हेतु लेख किया गया है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-15-39/2005/10-2, दिनांक 28.07.2010 के द्वारा लेख किया गया कि करेरा अभ्यारण्य को डिनोटिफिकेशन करने में अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लिया जाना है तथा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड या केन्द्रीय सशक्त समिति को पुनर्विचार हेतु आवेदन करने से प्रकरण में विलंब होगा। अत: अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					उक्त निर्देशों के तहत दिनांक 28.03.2011 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक आई.ए. 3067-3068/ 2011 दायर की गई है। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-22-155/2002/10-2,** **दिनांक 13.09.2011**	
68.	247	अता.प्र.सं.31 (क्र.947) दि. 22.07.2002	गुना जिले के चंदेरी वन परिक्षेत्र में अवैध उन्मूलन में लिप्त वाहन को जप्त किया जाना।	पुन: जप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।	इस विभाग द्वारा घटना की रिपोर्ट श्री गोपाल सिंह चौहान एवं अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी में दिनांक 11.01.2002 को दर्ज कराई गई। ट्रक को पुन: जप्त करने के लिये वन मंडलाधिकारी गुना द्वारा पुलिस विभाग को लेख करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की विवेचना सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है । वनमंडलाधिकारी गुना ने अपने पत्र दि. 29.01.2003 से उप पुलिस महानिरीक्षक सी.आई.डी. ग्वालियर से प्रकरण की जानकारी ली गई । उप पुलिस महानिरीक्षक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ग्वालियर ने अपने पत्र क्रमांक 140 दि. 15.02.2003 से वनमंडलाधिकारी को अवगत कराया कि प्रकरण विवेचना में है तथा इसमें विधिक राय भी ली जाना है। उक्त प्रकरण की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर को विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा दि. 25.11.03, 21.01.04, 08.04.04, 31.03.04 एवं दि. 11.06.04 तथा शासन स्तर से दि. 19.02.04, 07.10.04, 02.11.04 एवं 31.12.04 से भी उप महानिरीक्षक ग्वालियर अ.अ. वि.को. लिखा जा चुका है । तदुपरांत उपमहानिरीक्षक, ग्वालियर द्वारा उनके पत्र दि. 04.10.04 से अवगत कराया है कि कार्यालयीन रिकार्ड पुलिस मुख्यालय, भोपाल स्थानांतरित होते समय संभवत: यह प्रकरण पुलिस महानिरीक्षक अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में रह गया है । पत्र दि. 14.03.05 से उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विभागाध्यक्ष कार्या. को अवगत कराया है कि प्रकरण की जानकारी उनके कार्या. में नहीं है। इस प्रकार विभाग द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ-साथ वाहन जप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर सतत् प्रयास किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-22/132/2002/10-3, दिनांक 06.06.2008**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69.	283	ता.प्र.सं.01 (क्र.634) दि. 24.07.2002	त्योंथर क्षेत्र में छोटी मशीन से बोर कराए जाना।	जी हां।	रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र त्योंथर के विकासखण्ड जवा एवं त्योंथर की पहुंच विहीन बसाहटों में छोटी मशीन (कैलिक्स मशीन) से 270 नलकूपों का खनन किया जाकर, हैण्डपंप स्थापित किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 31/मोनि/प्र.अ./लोक.स्वा.या.वि/09, दिनांक 02.01.2001**	कोई टिप्पणी नहीं.
70.	285	परि.अता.प्र.सं.04 (क्र.610) दि. 24.07.2002	उमरिया के विकासखण्ड पाली के अंतर्गत नलकूप खनन की जांच तथा अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच कर कार्रवाई की जावेगी।	श्री पी.के. पयासी एवं श्री ए.के. बिदोलिया, उपयंत्रियों के विरूद्ध प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा क्रमश: पत्र क्रमांक 222,223 दिनांक 09.01.2006 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 1868/2204/2008/1/34, दिनांक 24.06.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
71.	292	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.2838) दि. 07.08.2002	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड बुढ़ार जिला शहडोल के कर्मचारी द्वारा उपस्थिति पंजी फाड़ने संबंधी प्रकरण की जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	सहायक यंत्री को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई विचाराधीन है।	प्रभारी सहायक यंत्री श्री डी.पी. तिवारी की विभागीय जांच पूर्ण कर उन्हें दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 10048/सी-6-जे-70/प्रअ./लो.स्वा.यां.वि/ 09, दि 10.11.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
72.	294	अता.प्र.सं.41 (क्र.3973) दि. 07.08.2002	जिला रीवा में स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं को चालू कराया जाना.	अपूर्ण 25 योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर जलप्रदाय चालू किया जा सकेगा।	रीवा जिले की वर्ष 2002-03 में अपूर्ण (प्रगतिरत) 25 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर जलप्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है तथा सभी योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 11596/29/2010/3/34, दिनांक 16.11.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
73.	296	अता.प्र.सं.52 (क्र.4143) दि. 07.08.2002	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बड़वानी द्वारा सबमर्सिबल पंप खरीदी में की गई अनियमितताओं संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई।	विस्तृत परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-66/02/1/ 34, दिनांक 08.05.2006 द्वारा श्री के.एल. डुडवे, कार्यपालन यंत्री का दिनांक 29.02.2005 को निधन हो जाने के कारण विभागीय जांच समाप्त की गई। प्रकरण से जुड़े श्री डी.एल. सूर्यवंशी सहायक यंत्री के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्ण की जाकर शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.08.2006 द्वारा सहायक यंत्री को चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 10547/सी-7-आई-29/प्र.अ.:लो.स्वा.यां.वि/ 08, दिनांक 26.11.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74.	362	अता.प्र.सं.37 (क्र.2239) दि. 05.08.2002	जिला खण्डवा अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना में कार्यरत श्री आई.के. खत्री, उपयंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच एवं कार्रवाई किया जाना.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने पर उनका पैतृक विभाग की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	1. श्री आई.के.खत्री, सहायक यंत्री चालू प्रभार (लो.स्वा.यां.उपखंड विजयराघवगढ़) द्वारा नलकूप खनन में की गई अनियमितताओं के लिये संस्थित विभागीय जांच पूर्ण की जाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय के दण्डादेश क्रं. 22/सी-7-जे-35, दिनांक 22.08.2005 द्वारा तीन वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति दी गई है। 2. लोकायुक्त प्रकरण क्रं. स्वा/55/253/99-00 में संगठन की अनुशंसा अनुसार श्री आई.के. खत्री, सहायक यंत्री के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्ण की जाकर दण्डादेश क्रं. 20 दिनांक 08.11.2006 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3939/4418/2014/1/34,** **दिनांक 22.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75.	299	परि.ता.प्र.सं.29 (क्र.1482) दि. 25.07.2002	प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी द्वारा नियम विरूद्ध की गई नियुक्तियों तथा खरीदी की जांच ।	जांच हेतु कलेक्टर, सीधी को निर्देश दिये गये नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	सीधी जिले में की गई नियुक्तियां तथा सामग्री क्रय की जांच में निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई :- 1. श्री एस.आर. सोनवानी तत्कालीन सहायक आयुक्त, सीधी वर्तमान में से.नि. के विरूद्ध शासनादेश क्रमांक एफ 16-44/ 2004/1/25 दिनांक 04.01.2010 पारित कर उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के आदेश जारी किये गये । 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी के आदेश क्रमांक 2337/स्था.सा./आ.वि./ 2010 दिनांक 22.05.2010 द्वारा श्रीमती रघुराज कुमारी सिंह, का आदेश क्रमांक 1835 दिनांक 19.05.1999 द्वारा भृत्य पद पर किया गया नियमितीकरण आदेश निरस्त कर दिया गया है । 3. श्री आर.पी. वर्मा, लेखापाल (तत्कालीन स्टोर कीपर) के विरूद्ध कलेक्टर, सीधी द्वारा विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है तथा कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 321/विभा.जा/ आ.वि/2010, दिनांक 18.01.2011 द्वारा श्री के.वी. सिंह, लेखापाल को लेखापाल के पद से पदावनत किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-23-54/2002/1/25, दिनांक 17.02.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
76.	302	अता.प्र.सं.39 (क्र.1553) दि. 25.07.2002	छतरपुर जिले में नये छात्रावास खोले जाने के विचाराधीन प्रस्ताव पर कार्यवाई किया जाना.	जिलों से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है ।	छतरपुर जिले में शासनादेश दिनांक 29.03.2003 द्वारा एक कन्या प्री मैट्रिक छात्रावास बड़ामलहरा में निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-21/72/2003/25/4, दिनांक 10.12.2003**	कोई टिप्पणी नहीं.
77.	303	अता.प्र.सं.16 (क्र.2195) दि. 01.08.2002	सीधी एवं रीवा जिले में नियम विरूद्ध की गयी नियुक्तियों की जांच करायी जाना ।	नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी ।	श्री एस.आर. सोनवानी, तत्का. प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 16-44/04/1/25 दिनांक 04.01.2010 द्वारा उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-23-57/2002/1/25, दिनांक 30.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	305	अता.प्र.सं.51 (क्र.3047) दि. 01.08.2002	इंदौर संभाग में वर्ष 2002-2003 में छात्रावास खोले जाने संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई।	वित्त वर्ष 2002-2003 में छात्रावास खोलने संबंधी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।	विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 29.03.2002 द्वारा इंदौर संभाग के 3 जिलों में नवीन छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ-21/89/2002/25/4, दिनांक 11.12.2003**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
जल संसाधन विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
79.	309	ता.प्र.सं.01 (क्र.620) दि. 22.07.2002	शिवपुरी जिले में सिमोहा पिक-अप वियर के अंतर्गत नहरों के निर्माण कार्य में अधिकारियों व ठेकेदार द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मेरे समक्ष कराई जाना।	1. वरिष्ठ स्तर के अधिकारी से जांच कराने के उनके प्रस्ताव से सहमत है। 2. हम जांच करवा लेगें हमें किसी जांच से परहेज नहीं है हम ई.एन.सी. स्तर के अधिकारी से जांच करवा लेंगे और निर्देश दिया जाएगा कि इसकी जांच करें और मौके पर आपको भी बुलवा लिया जाये।	आश्वासन तत्कालीन मा.विधायक श्री रणवीर सिंह रावत के तारांकित प्रश्न संख्या 620 से उद्भूत हुआ। आश्वासन 13 वर्ष पूर्व का है। इस अवधि में समोहा पिक-अप वियर का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में पूर्ण हो चुका है। परियोजना का रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 16432 हे. है। परियोजना निर्मित होने के उपरांत लगातार 17,000 हे. से अधिक जल उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना पर किए गए व्यय के विरूद्ध आनुपातिक सिंचाई लाभ लगातार प्राप्त हो रहा है। आश्वासन से संबंधित निर्माण कार्य में अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित कोई प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध न होने से मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना दतिया द्वारा दिनांक 07.07.2015 को उपरोक्त वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए मा. विधायक जी को अवगत कराया गया। मा. विधायक जी के पत्र दिनांक 15.07.2015 द्वारा विभाग को लेख किया गया कि :- ''उद्देश्य की पूर्ति के अंतर्गत समोहा पिक-अप वियर निर्माण कार्य एचं इसकी नहर प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं योजना से निर्धारित सिंचाई लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में नहरों से विभाग द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है एवं नहर प्रणाली भी व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **21(A)23/आ./2002/MPS/31/1104, दिनांक 01.08.2015**	कोई टिप्पणी नहीं
80.	314	परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.1952) दि. 29.07.2002	सतना जिले के विकास खण्ड रामपुर बघेलान के ग्राम चकेरा में सिंचाई तालाब को पूर्ण किया जाना।	प्रशासकीय स्वीकृति की कार्रवाई पर गुण-दोष के आधार पर विचारोपरांत निर्णय लिया जावेगा।	सतना जिले के रामपुर बघेलान विकासखण्ड अंतर्गत चकेरा सिंचाई तालाब की साध्यता स्वीकृति दिनांक 165.04.2012 को प्रदान की गई। परीक्षण में परियोजना का केंचमेंट एरिया 1. 02 वर्ग कि.मी. पाया गया है। बांध स्थल पर जल की आवक न्यूनतम होने से परियोजना तकनीकी मापदण्ड पर साध्य नहीं पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **21/166/02/लघु/31, दिनांक 24.04.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
81.	315	अता.प्र.सं.15 (क्र.1445) दि. 29.07.2002	प्रदेश में वन प्रकरणों का निराकरण न होने से बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना।	वर्तमान में प्रकरण परीक्षणाधीन है।	वर्ष 2010 एवं इससे पूर्व की सभी सिंचाई परियोजनाएं जो साध्य पाई गई थी, उन सभी परियोजनाओं के वन भूमि के प्रकरणों का निराकरण किया जाकर परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **15-39/2014/मध्यम/31/399, दिनांक 24.06.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82.	316	अता.प्र.सं.84 (क्र.2693) दि. 29.07.2002	दैनिक वेतन भोगी नियुक्तिकर्ता अधिकारियों से राशि की वसूली एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई।	प्रकरण परीक्षणाधीन है।	विधानसभा सत्र जुलाई-अगस्त, 2002 में प्रश्न क्र. 2693 में दिए गये उत्तर अनुसार 10 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना प्रस्तावित था। प्रकरण 1988 की अवधि का है एवं वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भी हुआ है। वर्ष 2002 में प्रश्न के साथ तत्कालीन अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने/स्वर्गवास होने की जानकारी दी गई थी। अत: इतने वर्षों बाद लगभग समस्त अधिकारी छत्तीसगढ़ आवंटन/स्वर्गवास होने एवं सेवानिवृत्त होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए वसूली की कार्रवाई की जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **2560/आर-2769/2012/पी-1/31(05), दिनांक 03.10.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
83.	318	ता.प्र.सं.07 (क्र.2204) दि. 05.08.2002	जिला होशंगाबाद के खौरीपुरा तालाब की रिसन को ठीक करना एवं पथरोटा जलाशय के अतिक्रमण को हटाया जाना।	उसके भी निर्देश जारी करेंगे और जिलाध्यक्ष से कहा जाएगा कि अतिक्रमण हटाया जाए।	खौरीपुरा जलाशय की रिसन को ठीक करने के संबंध में स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि बांध का जल स्तर एकदम कम न होकर शनै: शनै कम होता है। बांध के अपस्ट्रीम में सिल्ट जमा होने के कारण रिसन काफी कम हो गया है एवं बांध सुरक्षित है। अत: वर्तमान में रिसन के उपचार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **21-167/2002/लघु/31/1835, दिनांक 11.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84.	323	अता.प्र.सं.81 (क्र.2455) दि. 26.07.2002	शासकीय सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय भोपाल को युनिवर्सिटी में तब्दील कर अन्य स्कूल भवनों को भी उसमें शामिल किया जाना।	अभी पूरा प्रकरण विचाराधीन है।	सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव वि.वि. अनुदान आयोग नई दिल्ली को भेजा गया था वि.वि. अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र क्र. एफ 6-41/2005(सीपीपी-1) दिनांक 15 फरवरी 2007 के अनुसार महाविद्यालय अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 30/42/2011/38-3, दिनांक 03.11.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
85.	324	अता.प्र.सं.12 (क्र.1367) दि. 02.08.2002	डबरा जिला ग्वालियर के वृन्दासहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रयोगशाला परिचारकों की व्यवस्था।	प्रश्नाधीन व्यवस्था विचाराधीन है।	शासकीय वृन्दावन सहाय महाविद्यालय डबरा में युक्तियुक्तकरण के तहत प्रयोगशाला तकनीशियन के 02 पद रीडिप्लाय किये जाकर 2005 में उपलब्ध करा दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 3239/3686/2011/38-1, दिनांक 17.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
86.	326	अता.प्र.सं.91 (क्र.4505) दि. 09.08.2002	विक्रम वि.वि. उज्जैन के अधिकांश छात्रों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम संदेहास्पद होने एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। आ.क्र. 328 विक्रम वि.वि. उज्जैन में वर्ष 2000-2001, 2001-02 एवं 2002-03 में पुर्नमूल्यांकन हेतु जो आवेदन प्राप्त हुये हैं जिनकी जांच में अनियमितता पाई गई तो दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की अद्यतन/पूर्ण जानकारी दें।	प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।	वर्ष 2002 में किसी मूल्यांकनकर्ता के संबंध में व्यक्तिगत शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई। अत: व्यक्तिगत शिकायत प्राप्त नहीं होने से किसी भी मूल्यांकनकर्ता पर विश्वविद्यालयीन रिकार्ड के अनुसार कार्रवाई करना नहीं पाया गया। वर्ष 2002 में अधिकांश छात्रों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किये गये जो निम्नानुसार है :- वर्ष 2000-2001 में 13006 वर्ष 2001-2002 में 17335 वर्ष 2002-2003 में 20400 विभागीय पत्र क्रं. एफ 30-42/2011/38-3 दिनांक 04.07.2011 के माध्यम से आश्वासन विलोपन हेतु विधानसभा सचिवालय को निवेदन किया गया था। विधानसभा सचिवालय के पत्र क्रमांक 19290 दिनांक 02.09.2011 के संदर्भ में कुल सचिव विक्रम वि.वि. उज्जैन से जानकारी प्राप्त की गई। पुन: उन्होनें अवगत कराया है कि व्यक्तिगत शिकायत प्राप्त नहीं होने से किसी भी मूल्यांकनकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 13-122/2002/38-2, दिनांक 29.02.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87.	330	ता.प्र.सं.07 (क्र.1139) दि. 31.07.2002	बुरहानपुर अंतर्गत आंगनवाडियों में कार्यकर्ता व सहायिकाओं की फर्जी नियुक्ति की जांच एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।	एकी.बाल विकास परियोजना बुरहानपुर शहरी अंतर्गत वर्ष 1999 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर एवं तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा जांच की गई जिसमें श्रीमती वंदना इंगले तत्कालीन प्रभारी अधिकारी को दोषी पाया गया था। कलेक्टर खंडवा के पत्र क्र. 1191 दिनांक 11.11.02 द्वारा श्रीमती इंगले को आरोप पत्र जारी किया गया था। श्रीमती वंदना इंगले द्वारा आरोपों को अस्वीकार करने से उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच कलेक्टर बुरहानपुर के आदेश क्र. स्था./11083-11084, दि.31.12.05 द्वारा समाप्त की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :- 1066/214/2012/50-1, दिनांक 23.05.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त 2002 सत्र
वाणिज्यिक कर विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	334	अता.प्र.सं.26 (क्र.1295) दि. 24.07.2002	भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग में शराब की दुकानों की नीलामी की राशि ठेकेदारों से वसूल की जाना.	संबंधित जिले के ठेकेदारों से राशि वसूल किए जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्रवाई प्रचलित है।	1. वर्ष 2000-01 में जिला राजगढ़ की देशी/विदेशी मदिरा दुकान समूह सारंगपुर का ठेका रूपये 6,35,00,000/- में मेसर्स सुख संगम ट्रेडर्स (लायसेंसी भागीदार विष्णु कमार जायसवाल एवं श्री केशव सिंह) को स्वीकृत किया गया था। जिसकी निर्धारित सुरक्षा निधि रूपये 12,70,000/- (चालान क्रमांक 50/31.03.2000 से रूपये 12,00,000/- एवं चालान क्रमांक 49/31.03.2000 से रूपये 70,000/-) जमा करायी गयी। इसी प्रकार अग्रिम धन रूपये 1,14,30,000/- चालान क्रमांक 48/31.03.2000 से जमा करवाया गया था। ठेका अवधि के दौरान लायसेंसी द्वारा रूपये 1,23,51,556/- जमा नहीं करवाये जाने से बकाया रहा था। प्रकरण में संबंधित लायसेंसी भागीदारों के नाम चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। परंतु आज दिनांक तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। वर्ष 2000-01 में ठेकों की राशि बकाया रहने पर तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी श्री आर.के.चन्द्रवंशी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जांच उपरांत म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक बी-7(ए)55/5/2/पांच, दिनांक 16 जून 2006 द्वारा आरोप प्रमाणित होने से श्री आर.के. चन्द्रवंशी, सेवा निवृत्त जिला आबकारी अधिकारी को देय पेंशन स्थायी रूप से रोकी गयी है। 2. वर्ष 2000-01 में जिला राजगढ़ की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लायसेंसी श्री रायसिंह पुत्र श्री भेरूसिंह से बकाया राशि रूपये 12,00,000/- तथा श्री रामगोपाल शिवहरे से बकाया राशि रूपये 2,80,000/- की संपूर्ण वसूली दिनांक 31.03.2013 तक की जा चुकी है। इन दोनों पर वर्तमान में कोई वसूली शेष नहीं है। 3. जिला राजगढ़ की ही देशी विदेशी मदिरा दुकानों के लायसेंसी श्री दिनेश कुमार शिवहरे पिता श्री रामचरण शिवहरे द्वारा बकाया राशि रूपये 6,78,542/- की वसूली के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त विचाराधीन प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					ग्वालियर द्वारा दिनांक 22.10.2012 को निर्णय पारित करते हुए, कलेक्टर जिला राजगढ़ के पारित आदेश को यथावत रखा गया है । श्री दिनेश कुमार शिवहरे द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में रिट याचिका क्रमांक 1975/2013 प्रस्तुत की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 03 अप्रैल 2014 को पारित आदेश से उक्त रिट याचिका निरस्त कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के उक्त आदेश की प्रति दिनांक 05.06.2014 को प्राप्त हुई है। तद्नुसार प्रकरण में वसूली की कार्रवाई पुन: प्रारंभ की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **बी-15-164/2002/2/5, दिनांक 15.10.2014**	
89.	335	अता.प्र.सं.29 (क्र.1327) दि. 24.07.2002	ग्वालियर नगर में व्यावसायिक भूमि के भूखण्डों को पिछड़ा क्षेत्र की भूमि बताकर विक्रय पत्र संपादित करने में स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ग्वालियर द्वारा मुद्रांक विधान की धारा 47 क की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रगति पर है।	आक्षेपित प्रकरणों में न्यून मूल्यांकन हेतु दोषी श्री संजय सिंह तत्कालीन उप पंजीयक, ग्वालियर के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई कर विभागीय जांच आदेशित की गई थी। जांच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 16.01.2007 द्वारा उनकी दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने तथा शासन को हुई राजस्व हानि की राशि रूपये 2,50,000/- की राशि का 10 प्रतिशत उनके वेतन भत्तों से वसूल करने की शास्ति अधिरोपित की गई थी। प्रकरण दिनांक 12.02.2012 को दर्ज किये गये थे, 188 प्रकरणों में रूपये 15,98,000/- की वसूली पूर्ण हो चुकी है । शेष 41 प्रकरणों में रूपये 3,48,500/- की आर.आर.सी. द्वारा वसूली की कार्रवाई जारी है। यहां यह उल्लेखित है कि यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों को समुचित अवसर दिया जाना कानूनी बाध्यता है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **बी-15-165/2002/2/पांच, दिनांक 03.04.2013**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
90.	336	अता.प्र.सं.26 (क्र.3561) दि. 07.08.2002	जबलपुर जिले में संचालित नर्सिंग होमों से वृत्तिकर की वसूली।	राशि जमा न होने पर वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।	जबलपुर जिले में संचालित नर्सिंग होम से वृत्तिकर की वसूली हेतु किये गये प्रयासों के अनुक्रम में रूपये 7,87,475/- की वसूली की जा चुकी है जिसमें आश्वासन क्रमांक 336 की शेष राशि 7,33,370/- भी शामिल है । अधिक राशि का कारण अन्य वर्षों की भी राशि सम्मिलित है। अब वसूली हेतु राशि निरंक है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ ए 12-94/2002/1/पांच, दिनांक 16.11.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91.	337	परि.अता.प्र.सं.40 (क्र.1341) दि. 22.07.2002	तत्कालीन सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री एम.ई.खान द्वारा भोपाल स्थित चूना भट्टी जलाशय के पट्टा संबंधी प्रकरण में नियम विरूद्ध अवधि बढ़ाने पर कार्रवाई।	जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	श्री इलयास खान, सहायक संचालक, मत्स्यद्योग पर तीन आरोप अधिरोपित किये गये थे जिसमें से एक आरोप क्रमांक 1 आंशिक रूप से सही पाया गया । श्री खान दिनांक 31.03.2003 को सेवानिवृत्त हो चुके है। शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-7/2007/ छत्तीस, भोपाल दिनांक 10.12.2007 द्वारा श्री इलयास खान को किसी शास्ति से अधिरोपित किये बिना विभागीय जांच की कार्रवाई समाप्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 18-86/2002/36, दिनांक 25.07.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
92.	340	अता.प्र.सं.03 (क्र.925) दि. 05.08.2002	बाणसागर जलाशय में मत्स्यबीज के संचय हेतु खाण्ड (देवलोंद) में मत्स्यबीज उत्पादन हेतु हेचरी एवं बर्फ फैक्टरी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना।	भूमि हस्तांतरण पश्चात निर्माण कार्य कार्रवाई की जावेगी।	1. पूर्व में बाणसागर जलाशय के अंतर्गत मत्स्यबीज प्रक्षेत्र सह हेचरी का निर्माण कार्य आयुक्त भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा द्वारा किया जाना था लेकिन पुर्नवास विभाग द्वारा निर्माण कार्य आरंभ न करने की वस्तुस्थिति से इस कार्यालय के पत्र क्र. 1646 दिनांक 27.07.10 द्वारा अवगत कराया गया। 2. भू-अर्जन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा हेचरी निर्माण न करवाये जाने की स्थिति में राष्ट्रपति कृषि हेतु राशि रू. 43.00 लाख एवं वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संवर्धन क्षेत्र विकसित करने हेतु राशि रू. 50.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 93.00 लाख प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि अंतर्गत महासंघ द्वारा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र सह सरकूलर हेचरी के निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु कार्य आदेश संबंधित ठेकेदार को दिया गया है। मत्स्यबीज प्रक्षेत्र सह सरकूलर हेचरी का भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, मछली पालन विभाग द्वारा दिनांक 25.02.11 को किया गया। हेचरी का निर्माण कार्य प्लिंथ लेवल तक पूर्ण हो चुका है एवं कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **1256/स्था/20/11-12, दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
93.	347	परि.अता.प्र.सं.03 (क्र.39) दि. 23.07.2002	झाबुआ सहकारी बैंक में अवैध नियुक्तियां करने वाले नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	सहकारी अधिकरण के आदेश में उल्लेखित कमेटी द्वारा नियुक्तियों की वैधता का परीक्षण किया जा रहा है।	1. सहकारी अधिकरण भोपाल के निर्णय दिनांक 06.04.2002 में प्रदत्त निर्णयानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक झाबुआ की स्टाफ कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.2002 में लिये गये निर्णयानुसार नियुक्ति में अपात्र 27 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। 2. 50 संस्था प्रबंधकों की नियुक्ति स्टॉफ उप समिति की बैठक दिनांक 21.10.99 में पारित निर्णयानुसार की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे :- (क) श्री वेस्ता रावत पटेल अध्यक्ष (ख) श्रीमती नानकी जोसफ उपाध्यक्ष (ग) श्री दिवालिया ठकराल सदस्य (घ) उपसंचालक कृषि झाबुआ सदस्य शासकीय प्रतिनिधि (ड.) श्री आर.एस. यादव पदेन सचिव अनियमित नियुक्ति के दोषी उपरोक्त दर्शित तत्कालीन स्टाफ उप समिति के सदस्यों के विरूद्ध अधिनियम 1960 की धारा-58 बी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई के निर्देश कार्य. पत्र क्र. 3925, दिनांक 13.01.03 से जारी किये गये। 3. दोषी प्रबंधक श्री आर.एस. यादव जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक झाबुआ के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल को कार्या. पत्र क्रमांक/111, दिनांक 09.01.2004 से जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **एफ 10-191/2002/15-1, दिनांक 23.04.2004** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र. 22896/वि.स./आश्वा./2005, दि.17.10.2005, 8999/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 16.03.2006, 16713/ वि.स./आश्वा./2007,दि.27.07.2007,16178/वि.स./आश्वा./ 2009, दिनांक 25.08.2009, 12903/वि.स./आश्वा./2011, दि.09.06.2011, 22491/वि.स./आश्वा./12, दि. 19.11.2012 एवं 10529/वि.स./आश्वा./2013, दिनांक 02.05.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***जांच प्रतिवेदन सहित पूर्ण अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
नर्मदा घाटी विकास विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94.	360	अता.प्र.सं.46 (क्र.2189) दि. 29.07.2002	रानी अवंती बाई सागर परियोजना जबलपुर, अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान किया जाना।	भू-अभिलेख दुरूस्ती के उपरांत तुरन्त मुआवजा भुगतान किया जावेगा।	भू-अभिलेख दुरूस्ती के उपरांत शेष कृषकों का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :- एफ 1-85/2002/27-1, दिनांक 15.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र
खनिज विभाग

सरल क्र.	आ.क्र.	प्रश्न क्रमांक/ प्रश्न संख्या/ दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95.	381	ता.प्र.सं.07 (क्र.1877) दि. 26.07.2002	1. अलीराजपुर तहसील के ओच्छवलाल सोमानी के विरूद्ध अवैध खनिज उत्खनन के प्रकरण में निर्धारित दण्ड की वसूली की जाना। 2. श्री ओच्छवलाल सोमानी के विरूद्ध अन्य खदानों से अवैध उत्खनन की जांच एवं कार्रवाई।	1. मैं आश्वस्त करता हूँ कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी और दिनांक 28.02.02 को जो नीलामी रखी है उसमें शासन द्वारा कोशिश की जाएगी कि उसकी नीलामी की जाये। 2. उसमें भी वहीं कार्रवाई करेंगे जो इसमें की है । कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे।	आश्वासन का उत्तर इस विभाग के पत्र क्रमांक 5375/3035/2011/12, दिनांक 06.08.11 से प्रेषित किया गया था उत्तर भेजने के पश्चात कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला अलीराजपुर म.प्र. के पत्र दिनांक 01.09.12 से निम्नानुसार अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई है :- 1. ओच्छवलाल सोमानी के विरूद्ध अवैध उत्खनन के प्रकरण में निर्धारित दण्ड की वसूली की जा चुकी है। प्रकरण में कोई कार्रवाई शेष नहीं है। 2. जिला अलीराजपुर का गठन दिनांक 17.05.08 को हुआ था। श्री ओच्छवलाल सोमानी के नाम से जिला अलीराजपुर में कोई खदान स्वीकृत नहीं है तथा कोई अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **5278/2013/12/1, दिनांक 13.08.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 23 विभागों के 95 आश्वासन सम्मिलित हैं। समिति द्वारा किये गये परीक्षणों से यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 13 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 12 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 28 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 02 मामले तो ऐसे हैं, जिनमें विभाग द्वारा प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है । समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं। जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी । मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है । फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है। समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है। इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते। इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच, वसूली तथा उत्तर अप्राप्त आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों।

:: परिशिष्ट - 2 ::

अनिर्णीत प्रकरण

गृह(पुलिस) विभाग

आश्वासन क्रमांक	10

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	41
आश्वासन क्रमांक	49
आश्वासन क्रमांक	386+388 (एकजाई)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	69
आश्वासन क्रमांक	71
आश्वासन क्रमांक	83

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	91
आश्वासन क्रमांक	94
आश्वासन क्रमांक	105
आश्वासन क्रमांक	109
आश्वासन क्रमांक	127

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	137

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	168

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	184
आश्वासन क्रमांक	193
आश्वासन क्रमांक	195
आश्वासन क्रमांक	203
आश्वासन क्रमांक	207
आश्वासन क्रमांक	372

वन विभाग

आश्वासन क्रमांक	240
आश्वासन क्रमांक	247

लोक निर्माण विभाग

आश्वासन क्रमांक	261
आश्वासन क्रमांक	266

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

आश्वासन क्रमांक	285

वाणिज्यिक कर विभाग

आश्वासन क्रमांक	334
आश्वासन क्रमांक	335

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	347

:: परिशिष्ट - 3 ::

जुलाई-अगस्त 2002, सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	गृह	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	02	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	03	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	04	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	05	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	06	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	07	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	08	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	09	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	11	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	12	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	13	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	14	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	15	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	16	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	17	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	18	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	19	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	20	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	21	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	22	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	23	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	24	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	25	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	26	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	27	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	28	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	29	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	30	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	31	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	32	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	33	राजस्व	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	34	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	35	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	36	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	38	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	39	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	43	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	44	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	45	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	47	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	51	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	52	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	53	राजस्व	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	54	लोक स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	55	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

47.	56	लोक स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	57	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
49.	60	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	61	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	62	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	63	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	64	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	65	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	67	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	72	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	74	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	75	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	77	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	78	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	79	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	81	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	82	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	85	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	87	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	88	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	89	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	92	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	93	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	95	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	97	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	98	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	99	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	100	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	101	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	103	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	104	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	106	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	107	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	108	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	110	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	111	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	112	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	113	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	114	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	115	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	117	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	118	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	119	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	120	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	121	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	122	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	124	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	125	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	126	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
96.	128	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	129	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	130	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	131	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	132	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

101.	133	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	135	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	138	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	139	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	141	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	142	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	143	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	144	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	145	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	146	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	147	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	148	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	149	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	150	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	151	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	152	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	153	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	154	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	155	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	157	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	383	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	384	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	161	कृषि	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	162	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	163	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	164	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	165	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
128.	166	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	167	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	169	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	170	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	171	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	172	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	173	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	174	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	175	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	176	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	177	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	178	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	179	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	181	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	182	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	183	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	382	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	185	नगरीय प्रशासन एवं विकास	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	187	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	188	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	189	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	190	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	191	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	192	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	194	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	196	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	199	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

155.	200	नगरीय प्रशासन एवं विकास	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	201	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
157.	202	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
158.	204	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	206	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	208	ऊर्जा	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
161.	209	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	211	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	212	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	215	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	216	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	217	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	218	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	222	चिकित्सा शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	223	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	224	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	225	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	226	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
173.	227	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	228	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	229	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	230	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	231	आवास एवं पर्यावरण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	232	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	233	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	234	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	236	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	238	आवास एवं पर्यावरण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	239	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	241	वन	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	242	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
186.	245	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	246	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	248	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	249	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	250	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	251	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	252	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
193.	253	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	254	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
195.	255	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	256	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
197.	257	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
198.	258	लोक निर्माण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
199.	260	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
200.	263	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	264	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	265	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	268	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	269	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	270	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	271	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	272	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	273	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

209.	274	लोक निर्माण विभाग	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	275	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
211.	276	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
212.	277	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
213.	278	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	280	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
215.	281	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	282	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	284	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	286	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	287	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	288	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	289	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	290	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	291	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	293	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	295	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	297	आदिम जाति कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	298	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	300	आदिम जाति कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	301	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	304	अनुसूचित जाति कल्याण	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
231.	306	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
232.	307	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
233.	308	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
234.	310	जल संसाधन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
235.	311	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
236.	312	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
237.	313	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
238.	317	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
239.	319	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
240.	320	उच्च शिक्षा	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
241.	321	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
242.	322	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
243.	325	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
244.	327	महिला एवं बाल विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	328	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	329	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	331	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
248.	332	वाणिज्यिक कर	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	333	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	338	मछली पालन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	339	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	341	परिवहन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	342	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
254.	343	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	344	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	345	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
257.	346	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
258.	348	सहकारिता	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	349	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
260.	350	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
261.	351	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
262.	352	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

263.	353	सहकारिता	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	354	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
265.	355	वित्त	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
266.	356	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
267.	357	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
268.	358	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	385	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
270.	359	नर्मदा घाटी	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
271.	361	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
272.	363	जेल	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
273.	364	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	365	जेल	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
275.	366	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
276.	367	सामान्य प्रशासन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
277.	368	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
278.	369	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
279.	370	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
280.	389	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
281.	371	समाज कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
282.	373	तकनीकी शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
283.	374	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
284.	375	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
285.	376	खाद्य, नागरिक आपूर्ति	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
286.	377	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
287.	378	पशुपालन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
288.	379	गैस राहत त्रासदी	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
289.	380	ग्रामोद्योग	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
290.	387	खनिज साधन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा